$$
\text { भाग } 4 \text { (के) }
$$

राजस्पान विधान मंडल के अंधििलेयन।
विदि (विधायी प्रारूपण) विभाग

$$
\begin{aligned}
& \text { (ग्युप-2) } \\
& \text { अधिरूचना }
\end{aligned}
$$

जयपुर, मई 18,2017
सांख्या प. 2 (40) विलि $/ 2 / 20+6$-सज़स्थन सफ्य विवान-भण्डल का निम्नांकित अधिनियम्य, जिसे राज्य़्पल महोछय वौ अनुमति दिनांक 17 गई. 2017 का प्राप्त हुई. एतदद्बारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाश़त किया ज़ात्रा है:-

प्रौद्योगिकी विश्कविद्यालय, जखपुर अधिनियसग, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 28)
|रुज्यपाल महोदय की अनुू्वति दिनांक 17 सई, 2017 को प्राप्त हुई]
राजस्थान राज्य में प्रौपोगोगीकी विश्यविस्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और इससे संसक्त और आनुप्रंजिक विषयों के लिए उप्वंध करने के लिए अध्रिनियम।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सक्रित्रो क्षेत्रों सें सीवृत्र विक्जास के साथ-साथ कदम मिलाने को हंध्डि गत रखते हुए चुताओं को उनके निक्ट्टतम स्थान पर अंधुनातन शौस्थिक सुदिधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक्ति अनुसंधान और अध्यय स्यन सुलिध्याओं का सृजान करना आवश्यक है तिससे उन्हे विश्व की उदार आर्थिक और सार्माजिक व्यवस्था में मांनव संसाधन्दों से संगत्त ब्नागा जा सकें

और यल:, ज्ञाल के क्षेत्र में तीव्र प्रणीति और म्वानव संसाधनों की परिवर्तन्नशील आँक्षाओं से यह आचश्यक हो गया है कि शैक्षिक अन्नुसंधान और विकास की ऐपी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आयश्यक विक्किग्रासक व्यवस्था के अर्चीन उयगिताग्रूर्ण इत्राह से कार्म कर सके और ऐसी़ प्रणाली, उचच्चतर

 और ऐसे विश्ववियालयों को ऐसे विनिचासक छपर्भंर्थो से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशं कार्युकरण को सुनिश्येत करें, निणमित करने से सुजित की जा सकती है;

और यत, द्वीपशिखा कता संस्थान, जयपुर राज़्धान संस्सहटी रजिस्ट्रीकरण आंधिनिसम, 1958 (1958 का उणीनियम सं. 28) के अध्धीव रजिस्ट्रार, सोसाइट्टीज, राजस्थान्न, जयपुर के कार्स्याल्ल में रीजिस्ट्रि|करण सं. $307 / 1976-77$, दिनांक 28.10.9976 पर ईजिस्ट्रीक्यूत एक सोसाइटी हैं:

और यत्तः, उक्षत दीप्णशिखत कला संस्थान, जयपुर ने राजस्थान गज्य में गाम बरटिका लहीौल सांग्मीलेर और बाम फ़्तेहपुरा बास. वर्टिका, तह्सील चाकस्त् जिता जद्यपुर में अनुसूची 1 में यश्था विनिर्दिए भौनिक और रैक्षणिक दोनों घ्रकार की शैक्षिक अवसंरचनायं स्थापित कर ली हैं और यह अनुसूर्चा 2 में विनिर्दिए शाखंओं में अनुसंधान और भुध्यमन के लिए गक विश्ववियालय में उत अवसंरचना का विनिधान करने क्क लिए स़हमत हो गया है अंर इस अधिलिस्नक के उपबंजों के अनुस्तार विन्यास निषि की स्वापना में उपयोंजित किजे जाने के लिए दो करोड रुपये की रकम भी जमा करा दी हैं:

और यतः, उपर्युत्त अवसंरचना की पर्यास्तन की जांच राज्य सरकाश द्वारा इर निमित तियुक्र समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपते, माहाराजा गंग़़ सिंद विश्वदिद्याल्य, बीकालेर, निदेशक, पोद्दार प्रंधंजन संस्थान, राजस्थान विश्यव्द्यिालच, जयपुर, विशागगध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, सवाई मार्बस्सिंह चिकित्सात्डच, जयपुर प्राचार्थ, मक्तित्गा अभियंगिकी महंविद्यालय, अजनेर और संकायाध्यक्त, शिक्षा संकास, राजस्थान विश्वर्दिध्यालय, जसपुर थे:

और मत्तः, यदि उपर्थुक्त अवसंरचका का उपस्नोजल विश्वविर्मात्यय के रूप में किगमन सै किय्ग जाता है और इक दीपशिखा कला संस्थान, जऱपुर को विश्वविद्यालय घलाते के लिए अनुजात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के रै太तिक्फ विकास में योगद्यान होगा;

श्गरत्त गणराज्तरा के अडसठवें वर्ष में रजस्थान राज्य विधानमण्डन्न निम्नलिलिख अर्धिनियम बनाता है;-

1. संक्षिस नाम, प्रसार और प्रारम्ब.- (1) ह्स अधिन्नियक कग नाम प्रोंद्योंगिकी विशक्विम्यत्नय, जयपुर अधिनियम, 2017 है।
(2) इसका प्रसार सम्पूर्ज राजस्थान राज्न्य में है।
(3) यह तुरन्त प्नवुत होगा।
2. पतिभाषाएं, इस अधिनियम गें. जव तक कि सुंदर्भ से अन्च्यथा अपेम्क्षेत न हो,
(क) "अ.भा.त.शि.प." से अभिल भारतीय तकन्नीकी फशिक्सा परिम्यद् अधिन्नियमे, 1987 ( 1987 का केन्द्रीय अधिन्नियम सं. 52) के अंजीन स्थापित अखिल भारतीय सकलनकी शिक्षा पर्रिपद्य अभिग्रेत है;
 यैज्जःनिक और कौद्योगिक अनुसंधान परिपद्य नई टिल्ली अभिप्रेत है:
(ग) "दू शिर.ए." से इंदिरा गांधी राट्टीय मुक्त विश्वविद्याल्लय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीस अधिन्निग्रु सं. 50) की धारा 28 के अधीक स्धर्दित दूस्थ शिक्षा पंरिपद् अभिक्मेत्त हैं:
(घ) "ट्रूस्थ शिक्ष्पा" से संच्चार अर्बात् प्रसारण्ग, टेजीकांस्टिंग, प्रत्राचार पह्त्र्यक्रम, सेमिन्नार, संपर्क कार्यक्रम्न और ऐसी ही किक्सी अन्य कार्यपद्जति के किसी भी दो या अध्रिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अक्षेप्रेत्त हैं
(छ) "वि.प्नो.वि." से केन्द्र्रीय सरकार का विज्ञान और प्रोंदोंगिक्ना विभाग अभिप्रेत हैं;
(च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय सें कार्य करने के लिए विश्वखिद्यालय द्वारा तियुक कोई व्यक्ति अनिम्रेत है और इसनें विश्वविद्यालग के अध्यापक, अधिकरी तथा अन्य कर्मचाऱि सक्षिस्मित हैं;

47 (4)
 $\qquad$
(छ) "फीस" से विश्वविद्वालय द्वरां छानों से किम्या गया संग्रहण. जिसे चाहें किर्शी भी नाम रो जाना जाये, अभिपेत है, जो प्रतिटेय नहीं हैं;
(ज) "सरकार" से राजस्थान की राज्य सरक्नर आझिप्रेत है:
(झ) "उच्चतर शिक्षा" से $10+2$ स्तर से ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाक्यचर्यो रा पाठ्म्यक्रस का अद्यायन अन्भिप्रेत हैं:
(ज) "छ्धानावास" से विश्ववियालय या उसके गद्धाविदालर्यों। संस्थाओ दग केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वजियालय द्वारा इस रूप से संधारित या मान्यतात फाए निक्वास स्थान अभिष्रेत है;
(ट) "भा.कृं,अ.प." से स्फोझाइटी ईजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 $(1850$ का केन्द्रीय अधितियम सं, 21) के अधीन रसिस्ट्रीकृत सीसाइ्टी - भारतीय कृपि अनुसंधान परिषट् अवार्पत हैं;
(ठ) "भा.आ.प." से भारतीय आयुविज्ञात परिपद्य आधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सें. 102) की धारा 3 के जैरीन गठित भारतीय आयुर्बिज्ञान परिधद् अभिप्रैत है:
(ङ) "रा नि.प्रय," से विश्व़िद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वाइत्त संस्था-सम्ट्रीय हैर्धीरण और प्रन्यायन परिप्यद्य, वंगनोर अभिक्रेत हैं
 1993 (1993 का कैन्द्रीय अधिन्नियम सं. 73 ) की धारा 3 के जधीन गठित राप्र्रीय अध्याप्रक शिक्षा परिषद्य अभिक्रेत है:
(ग) "निनेश बाहम केन्द्र्र" से विश्वविद्याजय द्वारा मुख्य निवेश के वाहर स्थापित उसका, उसर्की घटक हृकाई के र्ञाय में प्रवतलिन्न और संरारित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसर्में चिश्चविद्याल्यय की पूरक सुचिधारं, संकात्य जैर स्ट्राफ हो;
(त) "भा.भे.प." सें भेषजो अभिजियम. 1948 (1948 का फेन्द्रीय अधिन्तियम सं. 8) को धार। 3 के अी़िन गठित भारतीय भेष जी परिपद्य अभिप्रेत्त हैं

（स）＂बिलित＂से इस अधिनियम के अध्धील घन्नाये गये परिग्नियन्ं द्वारा विश्हित अभिप्रत हैं；
（द）＂विन्नियन निकाय＂से उच्चतर दिशक्ष्रा के शैक्षणिक साक्तक सुनिभित करने के लिए मातदण्ड और शर्त अधिकीित करनो के लिए तन्समयय प्रचृत्र किसी भी विधि द्वारा या अधान स्थापित यु अवित कोई निकास जैसे वि．干．आ．，

 अंज्ञेत है और इसमें राज्य सरकार सनिक्जलित हैं；
（ध）＂目यम＂से इस अधिनियम के अधीन बताये गये ीियम अभिप्रेत 苟；
（ल）＂अन्नुसूच＂से इस अधिनियम की अनुसूर्ची अभीप्रेत हैं；
（प）＂प्रयोजक निकाय＂से दीर्पशिया कला संस्थान，जयपुर，जो राजस्थान सोसाइ्टी रीजिस्ट्रीकरण अधिन्निएम， 1958 （ 9958 का अधिनियम सं．28）के अधीन रसिस्ट्रार，सोसाइटीज， राजस्थान，जयपुर के कार्थात्नय में रजिस्ट्रीक्फरण सं． 307／197677．द्दिमांक 28．10．1976 पर रुजिस्ट्रीकृत एक सोसाइट्टी है，अभक्भेग्रेत है；
（ए）＇परिनियम＂，＂अर्डिनेन्स्प＇और＂विनियम＂से इस आधिनियम के अधीन चनाये गये विश्वविद्यालय के क्राभशः परिलियम，आदिनेन्स और विन्नियक अभिक्रेत है：
（ब）＂विश्वविद्यालय का छन＂से एंसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्चवविद्यालय द्वारा सक्स्यक रूप्र से संस्थित क्रिसी उपाधि，今िएल्लोक्रा या अन्य विद्या संवंधी उपाधि के लिए，जिसर्में अनुसंधान उप！धि सम्म्मिलित्त है，पाठ्यक्रमान्तुसार अप्ययन करने हैतु बिश्वव्विद्यालय में नावांबित हों
 परागर्श करजे या छानों द्वारा अपेक्षित क्रोई अन्म्म सहायता देने 玄 प्रयोजन के खिए विश्वजिघालय द्वारा स्वाप्रित औौ संधरारित या मान्यता प्रास्त कोई केन्द्र अभिक्रेत हैं；
(ग) "अध्यापक्ष" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रक्म का अध्यसन करने के लिए छान्चों को शिक्षा देने खा अन्नुसंधान में मार्गदर्शन्त करने या किर्सी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अप्रेक्षेत घोई आयार्य, सह आघार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;
(य) "वि.अ.आत," से विश्वयिद्यालय अनुद्रान्त जयोग अधिन्नियक, 1956 (1956 का केन्द्रीरा अीचियम सं. 3 ) की धारा 4 के अधान स्थापित विश्यिव्वान्नय जनुदान उायोग अभिपेत है; और
(सक) "विश्वदिद्मालय" से प्रौद्योगीकी विश्वंविक्मालय, जयपुर आग刀प्रेत है।
3. नियमन.- (1) विश्वंचिद्यालय के प्रभन घेदरपर्स्सन और प्रशम प्रेसीडेन्ट और प्रवंध घोर्ई और विद्या परिपद्य के प्रथम सदस्म और ऐेसे समी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अभिकारी मा सदस्य हो जाते है, जव हक वे ऐसा पद या सटस्यता धारणण किये रह्ते हैं, से इसके द्वारा प्रोय्योगिकों विश्चविद्याल्न, जय्यपुर की नाम से एक लिखफित निकाय गठित किसा जाता हैं।
(2) अनुसूची 1 में विजिद्विए जंगक और स्थाबर संपत्पते विश्वविय्मालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम के प्रार्रूल होने के ठीक पश्चात् ऐसा निहित्ति करने के लिए कदम उठायेगा।
(3) विश्वविद्याल्नय का शाभ्षत्त उतराधिकार और एक सामान्य मुटा होगी और वृत उक्त जाम से वाद ला सकेग्गा और उस घर बह्द लाया जा सकेगगा।
(4) विश्चविद्याल्लय ग्राम वाटिका, तहर्सील्न सांगानेर, जिबका जयपुर (राजस्थास) में अर्वस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यात्नय हौगा।
4. विश्वविम्याल्न के उद्देश्य.- विशवयियालय के इद्येश्य अनुसूची 2 मों विद्निर्दिष शाखाओं में और ऐसी अन्त्य शाखाओं में, जो चिश्वदियाल्यर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर अवधरित करे, जनुसंध्धान और अध्ययन ह्राश्ष में लेने तथा उक्त शाखाओं में उत्तृप्ता प्रास करसे और ज्ञाद का प्रसार करने के हैं।
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्त्य.- विश्वसिद्यालय की निम्नल्निखित शतिमां और कृत्य हौंगे, अर्थात्:-
(क) अनुसूमी 2 सें विनिद्दिप शाखाओ में शिक्षण का उपवंध करला और अनुसंधान और ज्ञात को अशिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध काना;
(ख) ऐसी श्तो के अृ्य्यीन रह्ले हुए, जो विश्वनिम्मालय अबधरित करे, ध्यकियों को परीक्ष्ताऔं, मूल्यांक्त या किसी मी अन्य रीति से परीक्षण के आधार पर डिज्लोमा या प्रम्नाणपन देना और ऊपाधियां या अन्न्द शैक्षणिक ऊपाधियां म्नदान करना, और ठोस और पर्योक्त काऱण से किन्हीं भी ऐसे फिट्लोमों. प्रन्माणपत्रों, उपाधियों रा अन्य शैक्षणिक उपाधियों को धापस लेना:
(ग) निवेशश वाहू अध्ययन और बिस्तार सेवा आयोजित करना और ट्यथ में नेना;
(घ) विहित रीति से गानद ऊपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान्न करना:
(इ) प्रत्राचार सह्तित शिक्ष्पण और शेस अन्य पाठ्यक्रक्रम जो अवधरिर्ति किये ज्ञार्यें, का उपवंध करना;
(च) विश्विज्जियाल्नय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सत आचार्य पद. सह्हायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों को संश्थान क्रतना और उन पर नियुति करना;
(छ) प्रशासन्निक, निमिक्रवर्गीय और अन्य पदों कीज सुजित करना और अन्न पर नियुक्तिम्यां करना;
(ज) स्थायं रूप से या किसी़ विनिद्यिंद कान्नावधि के लिख किसी भी भन्य विश्वविद्याल्य या संगठन में कार्यरत विनिद्दिए जान रखने काले व्यक्तित्यों को नियुक्ता करना:
(झ) किसी भी अन्य विश्वविद्याल्य चा प्राधिकारी का संस्या के साथ ऐंसी रीतिते से और ऐसे प्रग्रोज़न के लिए सहकार करनना, सहयोग करन्ना या सहयुक्त करन्ता, जो विश्वांप्यालय अवधारित करें
(अ) अध्यदन केन्द्र स्थापित करना, और अनुसुदान और शिक्षण के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों. विशिष्ट प्रयोगधालाओं या अन्य छक्राइ़्यों का संधार्ण करज्त, जो विश्वंकिद्यालय की राय में उसके अंश्य को अग्रसर करने के लिए आँ्नश्यक हैं:
(c) अध्येज्ञावृंतियां, छात्रवृत्तियां, अध्यमनवृत्तियां, पट, और पुरस्कार संस्थित फरना और प्रदान करना;
(ठ) गिश्वाविद्यालय के छान्तो के लिए छान्तयासीं की स्थापला करना और क्नाक्न संधारण करना;
(5) अनुसंधान और पऱम्रो के लिए उपसंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्न्र संख्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझोंते करता जो विश्वविय्यालय आवश्यक समझो;
(द) विश्रव्रविदालय में फयेश के ल्जिए मानक अवधारित करना जिसम्में परीक्षा, नल्न्य्यांक्रन या परीक्ष्पण को कोई मी अन्य हीति समिमलित हो सकेगी:
(ण) फीसों और अन्य प्रध्नारों की मांग करन्ना और संदाग्र पाए करना:
(त) विश्वविद्यालय के छात्रों के निक्षास का पर्म्मवेक्षण क्रस्ना और उन्तके स्वास्थ्य और सामान्त्य कर्न्याण की जीभवृद्धि के लिए व्यव्नस्था करत्ना;
(य) छ़ात्राओं के संवंध्र में ऐसी विशेप व्यवस्थगएं करना जिन्द्रें विश्र्वन्चिद्यालय वांद्धनीय समाझे:
(द) विश्बिधालय के कर्भचारियों औंर क्रानों में अनुशासन का विनिसमन और प्रवर्तन करना और इस संसंध मे ऐसे अनुशक्सनिक ऊपाय ऊरना जित्हैं विश्यांचिद्यालय द्वारा आवश्यक समझ़ा जाये;
(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचीरियों से स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणन के उन्नायंन के लिए ट्याचस्था करना;
(न) दान प्रात्त करना और किस्सी मी जंगम या स्थावर संपति का अर्जन करना, धारण करना, प्रवंध करूना और द्ययन कर्ना;
(प) द्विशवविद्यालय के प्रयोजन्नों के लिए, प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से धन उधार लेला:
(5) प्रायोजक निकाय के अनुमोटन से बिशविद्यालय की संपति को अंधक या आइमान रख़ना;
(व) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना:
(अ) यह सुमिनित क्रसा कि उपाधियों, हिप्लोमों प्रमाणपनों और अन्ग्य विद्या संवंधी उपाधियें ह्त्यादि का स्तर इससे कम नतं हो ज़ो अ.भा.त.शि.प., रा.अ.श्शि.प., वि.अ.आ., भा.आ.प., भा.मेप. और शिक्ष्ता के विनिय्रमत के लिए तत्सस्तय प्रवृत किसी विधि क्र द्वारा या अधीन स्थ्रापित वैसे हीं अन्य निकायों द्वारा अधिकीथित किये गसे हैं;
(ग) तत्क्षमय प्रवृत हिरी अन्य विधि के उपब्यंधों के अध्यदीन रहते हुए राज्य के मीतर निवेश बाह्य कैन्द्र स्थ्थाधित्त करना; और
(य) ऐसे सभी कार्य और वाते करना जो विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों या उनकमें से किसी भी उद्रेश्य की प्रास्ति के लिए आवश्यक, आनुर्षंगिक या सहायक हों।
6. विश्वविद्माल्य का स्व-वितमोधित होना.- विश्वंचिद्यास्मय स्व्वचित्तपोमित होगा और राज्य सरकार से कोई् भी अनुद्धान चा अन्या वितीय सहाग्यता प्राप्त करने का हुदार नहीं होगा।
7. संबद्य करने की शक्ति का न होन्ना.- विश्व्वयिघ्नालय को किसी मी अन्य संस्था कं संवद्ध करने या अन्यथा अपने विशेषाधिक्षार देने की श्रात्ति नर्हीं होगी।
8. विन्यास निभि.- (1) इस अभियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्स कीज्र दो करोइ रुपये की रक्म से, जो प्रायोजक निक्राय द्वारा राज्य सरकार को जमा करता दी गयी है, व्विन्यास निएधि स्थामित्क की जायेगी।
(2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप्र के रूप में उपयोग यह सुनिंश्रित करने के दिए किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिन्चियम के उपबंतों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम, परिनियक्नों और


 है तो राज्य स्रक्ज़ को सम्पूर्ण विन्यास हिधि या उसका भाज किहित रीति ने साझपह्त करने ती शकित होगी।
（3）पिन्यास किधि से प्रात आध का उप्योजज़न विश्वविद्यालग की अवसंख्चाल्ता के दिकास के लिए किया जा सकेग्त किन्तु उसका उपयोग

（4）पिन्याश नि⿵⺆⿻二丨．की रक्स，राज्य्य सरकार ढ़ारा जारी की गयी य प्रहल्ग्ताभूत दीध्धकातिक्तिक प्रतिभृत्रियों में विश्वविद्याल्लरा के नाम से
 जायेगी य सा सरफारी ख़जकाने में घ्याज चाले प्रासोजक निक्राय के व्यक्तिगत जक्ष लेख्रा में जउय की जाथेगी और विश्वविद्यालय के व्विघटन तक जमा रखां जायेग्गी।
（5）दिर्घंकलिएक पतिभीजियों में विनिधान के मामल में， प्रतिमूब्तियों के प्रमाज्णपः राज्य सरकार की सुरद्धित अभिरक्षा में रखे जारोंगे और सरककी खजाने में घ्याज्न वाले व्यक्तिगत जक्ग लेख़ा गें जमा के मानले में जमा इस शर्त पर की जायेगी कि रकल राज्य सरकार की भैनुजा के विना नर्दीं निकाली जायेगी।

9．साधाइण निधि，－विश्ववियालय एक निलि स्थ्थापित करेगा जिसे साधारण न्निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किरा जारोगा，अर्थात्：－
（अं）विश्वविद्यालय द्वारा पात्त फीस और अन्च्य प्रभार：
（ख）प्रायोजजक निकाय द्वारा किया जया कोई अमिप्दाय；
（ग）विश्वविय्यालय द्वारा उसके उद्द्रेश्यों के जननुररणण गें दी गरी परासर्शी सेवा और किये गये अन्य क्यर्र से भ्रात्त आय：
（घ）म्यास．वसीयत，दान，विन्त्यास और अन्डा कोई अनुदान； और
（ङ）विश्वविद्यालय द्वारा प्रात्त सकस्त अन्य राशियां।







 अभिकारीं होंगे. भैध्यत्ड्:-
(i) चैंरप्संन्न
(ii) पर्शीडंन्ट;
(iii) म्नान-ज्रेसीडन्ट;
(iv) खांग्रोस्ट;
(v) कुलान्दुशाताक;
(vi) संकार्याँ श्र संकायाध्युक्ये;
(4ii) कूल-सचित;
(viii) मुख्यं दित और लेखा अधिकारी; और

अंकिकरी घोदित किले जामें।

 कालन्वधि 㐫 लिए नियुक्त किसा जतेगा:
 पद धारण करेगा ज़ब तक टि उसका घदोगरवची पद कहण नहीं कर लेता है।
 छह मास कै भीतर-भोतर भरी जाएँंगी।
(3) चोच्पर्सन्न, इसके पदाभिधात से विश्यदिगालय का प़धान होगा।
(4) चैयरपर्सन, यदि उपस्थित हो, प्रवंध चोर्ड की बैठक्यों की और उपभिचयां, हिप्लोडे या अन्न्य विद्या संबंभी उपतधियां प्रदान करते के लिए

(5) चेयरपर्सन्न की निम्न्नलिख्तित शक्तियां हौंगी, अर्थात्तः
(क) टिश्विचयालय के कार्यकलापों के संबंध में किर्सी भी सूचना या अभिलेख की उपेंक्षा करनना:
(ख) प्रेसीड़ेन्ट नियुक्त करना:
(ग) धारा 13 की उप-धारा (8) के उपबंधमं के अन्तुसार प्रंसीडेन्ट को हटाना: और
(घ) प्सी अन्य खन्तियां जो पी़िनियनो द्वारा विहित की जायें।
13. मेसीसेडेन्ट.* (1) प्रेर्सीडेन्ट की़ी नियुकि पबंध बोई द्वारा सिक्जिशिश किये गये तान ब्यकियों के पैनल में से चैसरपर्ष्रन द्वारा की
 हुए, तीन्न वर्ष की अवाधि के लिए पद धारेत करेगा:

पश्तु तौन वर्ष की अवधि की समति के चश्चात् वह व्यक्ति तौन अर्ष की अन्त्य अवाध्धे है लिए पुन्नर्नियुक्ति का पात्न होगा:

पर्न्तु यह और कि प्रेसीहैन्ट इसकी अवधि समाकाष होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोतरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
(2) प्रेसीडेन्ट कै पद की कोई रिक्ति ऐसी रिंक्ति की तारीख से हृ्र मास़ के भीतार-मीतर अरी जायेगी।
(3) प्रेसीडेन्ट विरेविद्यालय का प्रधान क्रार्य्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वंदिद्यालय के कचर्ग्यकलाप्पों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राभिक्करियों के वितिभ्यों का निष्पादन क्रेगा।
(4) प्रेसीढेन्ट, च्रेयरपर्सन की अनुपस्थिति में विशब्बविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेग्र।
(5) यदि प्रेसीडेन्ट की राय मैं किसी भी ऐस्से मामले में तुरन्त्त काईवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शंत्रियां इस अधित्नियम के द्वारा या अधीन किस्सी भी अन्य प्राधिक्चरी को प्रदत्त की गर्या हैं तो वह ऐसी

कारंवाई कर सकेगा जो घह आवश्यक समझे और तत्प्रधात् अपनी कार्रवाई की रिपोट शीघ्नातिशीज्र अवसर पर ऐंसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिरंज सामान्य अध्大ुक्रक में माइले क़े निपटाया होता:

परन्तु यदि संयंधित अधिक्तारी या प्राधिकारी की राय में ऐंसी कर्रबई़ प्रेसीडेन्ट द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला चेग्ररपर्संब को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विस्निथ्य अंतिम होगी:

परन्तु यह और कि जहां प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी ऐेसी कोई गी क़़र्वाई विश्वविध्याल्मय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति का प्रभापित्र कररतो है तो ऐेसा व्यक्ति, उसे संखूचित ऐसी कर्रयाई की तारीख से तीबं मारा के कीतर-भीतर प्रवंध बोई को अर्पील करने का ह्रक्दार होग़ा और प्रबंध घोई, प्रेसीडेन्ट द्वारत की गयी कार्गवाई को पुश् या उपांतरित करं सकेगा या डलट सकेगा।
(6) यदि, म्रेसीडेन्ट की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्रतिकारी का कोई भी विनियूय इस अधिनियम या तदर्धीन बनाये गये परिन्नियमों, आडिनैसों, विनियमों या निग्यकों द्वारा प्रदत शक्तियों के वाहर है या इससे विश्वविक्यक्लम्म के हितों पर प्रतिक्लू प्रआव पइने की संभावता है तो बक्ष संबंधित प्राधिकारी के उसके विसिथयद की तारीख से पन्द्रह दिन के वीवीतर-भीतर विनिन्धिय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेग्गा और यदि वह प्रतिधिरारी ऐसे विनिध्य का पुनरीक्षण करने से झन्कार करता है या विफल रहता है तो ऐसा माक्सल चेयरपर्सन को निर्दिए किया जायेगा और उस पर उसका विनिभिय अंतिम होगा।
(7) प्रेसीडेन्ट ऐसी अन्य शंकियों का प्रयोग और ऐसे अन्या कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आड़नेंसीं द्वारा विहित किये जायें।
(8) यदि चेयरपर्संन का, उसको किये गसे किसी अः्यावेदन पर या अन्मया की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना पिश्वदियालय के हितों के प्रतिक्ल है या उस स्थिति में ऐसा अप्षेक्षेत हो तो वह लिखित आदेशेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को चर्णित करते हुए, प्रेसीडेन्ट से ऐसी

तारीख सें, जो आदेश में चिनिद्दिध की जाये, उस्सेंन पद्ध छोड़े के लिए कह सकेग्गा:

परन्तु इस उप-धारा के अभीन कौई कोरवंई कारने के पूर्य

14. प्रति-प्रेसीडेन्ट.- (1) प्रत्ति-पेसींडेन्ट की निर्युक्त चेयरापर्स द्वारा प्रसीसेन्ट के पराभर्श से क्र户 जायेग्री।
(2) प्रति-द्रेसीडेन्ट हीन वर्ष की कालावांध वें लिए प्रद कारित

(3) प्रति-प्रेसीडेन्ट की सेबा की शन्ं एरीी हौनी जो परिरिस्मों द्वारा विज्तित की जार्ये।
(4) यदि चेसरपर्सत का, उसको किसे गसे किसी अभ्यावेद्रन प्रर या अन्ययाया की गयी या करखायी गयी जांच पर सह समाधान हो जाये
 फतिकूल है चा उस स्थिद्नि में ऐसी अपेक्षेत हो तो वत लिखित आदेश द्वारा, उसर्भ ऐसा करते के कारणंं को वर्णित करते हुए, प्रति-मेंशी़ेल्ट से ऐसी तारोंख से, जो आदेश में विनिर्दिप्ट की जाये, ड्सका प्रद छोइन के लिए क्न सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अनीजन्न कोई कार्रकईई करने के पृर्व प्रतिप्रेसीदेन्ट को सुनखाई का भवस्तर दिघा जासेगा।
(5) प्रन्ति-प्पेसीडेन्ट, ऐसे मामलों में, जो प्रेशीझेन्ट दारा इसे समय-समय मर समनुद्देशित किचे जायें, प्रेसीदेन्ट की सहीधता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का थालन करेगा जो प्रेसींड्टन्ट द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।
15. प्रोवोस्ट.- (1) प्रोदोस्ट को नियुक्ति प्रेसीद्धेन्ट द्वारा ऐसी कालब्रधि के लिए और गेसी रीति से की जारेंगी जो परिम्नियमों द्वारा विहित की जाये।
(2) प्रोबोस्ट विश्वविद्यालय में अनुशासन को सुनितिंत करेगा और अंध्यापकों और कर्मचारिस्यों की विशिन्न संद्धों को विश्दाविद्यालय की विभिन्ज बीतियों और पद्धतियों के बारे मै सूत्यित करेगा।
(3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य सक्तिय्यों का प्रयोग और ऐसे ऊन्य कर्तंट्यों का पातन करेगा जो परिनियमों द्वारा विंहित किये जायें।
16. कुलानुशास्टक. (1) कुल्लान्नुघाराक की नियुक्ति प्रेसाडन्ट द्वारा स्री कालवीधे के लिए और ऐसी रोंते से की जार्येगी जा परित्तियमों ह्वारा विहित की जाले।
 छात्र संचों को विश्वविद्याह्य की विभिद्न नीतियों और पद्धतियों क बारे में स्वित करने के लिए उत्तरदायो होगग।
(3) कुलानुशासक ऐंसी अन्य शरियों का प्रयोग्र जैौर ऐसे अन्ये कर्तृव्यों का पालन करेगा जो परिन्नियक्मों द्वारा विक्तित किये जायें।
17. संकाय का संकायाध्यक्ष.- (1) प्रन्येक संकाय के लिए एव
 रीति से क्षियुक किसा जायेगा जो परिन्नियमों द्वारा विक्ति की जाये।
(2) संकायाध्यक्ष प्रेसीडेन्ट के परामर्श से, जल कभी की अवेक्षित हो. संक्काय की बैठक घुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। वह संकाय क्ना नीतियां और विकास क्रर्यक्रझ बनायेगा और उन्हें सहुचित प्राधिक्नरियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।
(3) संकमय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य शत्रित्यों का प्रयोग औंर पसे अन्य कर्तट्यों का पालन कर्शेगा ऊो परिनियमों द्वाऱ विहित किये जायें।
18. कुल्ल-सिचिव.- (1) कुल-रचिच्व की नियुकि च्रेयरपर्सन्न द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्नारा विह्ति की जाये।
(2) विश्दाविपगल की ओर से कुल-सचिय द्वारा सभी संदिद्वारं हस्त्तक्षरित और सरी दस्ताच्चेज्ञ तथा अनिलेख अधिप्रमाणित किये जानेग़।
(3) कुल-सचिव प्रयंध दोड और विद्या परिषद् का सदस्य-संच्रिव हीोगा बैन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
(4) कुल-सचिय ऐसी जन्द्ध शक्रियों का प़योग और ऐसे भन्न्य ऊर्तटर्यों का पालन करेणा जो परिजियमों द्वारा विहित किये जायें।
19. मुख्या वित और लेखा आधिकारी- (1) प्रेसीडेन्ट द्वारा मुंख्या वित्त और लेखा अधिकारी को नियुकि ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।
(2) मुछ्य वित और लेखा अधिकाी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐंसे कर्तवव्यों का जालन करेगा जो परिजियमों द्वारा विहित किये जार्जें।
20. अन्य अधिकारी.- (1) विश्वविव्यालय इत्तने अन्य अधिक्रियों की नियुकित कर सकेजा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवश्यक्य हों।
(2) ऐसे अधिकर्रियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां और कृत्य ऐसे हींगे जो परिन्तियमों द्वारा विहित किये जायें।
21. विश्वविघालय के प्राधिकरी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्रीधिकारी होंगे, अर्थात्:-
(i) प्रवंध बोड़े;
(ii) विद्या परिषद्य
(iii) संक्काय; अर
(iv) ऐसे अन्म प्राधिकारी, जिन्हें परिनियुयन्मों द्वारा विश्वविद्याल्य के प्राधिकारी होना घोपित किच्या जाये।
22. प्रलंध वोर्ड.- (1) विश्चवियाल्लय वे प्रवंध डोई नें निन्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
(क) चेयरपर्सन्न;
(ख) प्रेसीडेन्ट;
(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद्य या अनुसूपी 2 में विन्दिद्दिए शाखाओं के विशेषज्ञ हौंगे;
(ध) चेयरपसंन द्वारा नार्मनिर्दोशीत, विशेवविद्यालय के बाहर से प्रबंध या स्चवता प्रौचयोगिकी का एक विशेषज्ञ;
(ङ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिद्देशित एक विता विशषज;
(च) आयुक, महाविघालेय शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिच्च से नीचे की रैंक का न हो; और
(छ) प्रेसीडेन्ट द्वारा नाम्मनिर्देशित दो अध्यापक्य।
(2) फ्रबंड्न वोई, विश्वविद्यालस का प्रधान सार्थपालक सेकाय होगा। विश्वद्विद्यालय की समस्त जंगम और स्थ्थाचर संपति परंध्र वोई में निह्दित होरी।। उसकी निक्नलिखित शक्तियां हैंगी. अर्थात्:-
(क) ऐसी सरीभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इस अधिनियम गा तद्धीीन बनलये गये परिनिय्नरों, आर्दिनेसों. विनियमों या नियनों द्वारा उपर्बंधित है. साधारणण अधीक्षण और निदेशन का उपवंध करनका और विश्वविद्यालय के वार्सकरण पर लियंत्रण करना;
(ख) विश्वविद्वालय के अन्य प्राधिकाशियों द्वारा किन्ये गये वितिभ्जयों का उस द्वशण में धुन्नरीक्षण क्ररना जर वे इस आधिनियन या तदधीन वनाये गये परिनियमों, आर्डिनेसी। बिन्नियमों या नियर्मों के अनुरुप्प न हों;
(ग) पिर्वचियालय के बजट और वर्षिक रिपोर्टे का अनुमोदन करना:
(घ) विशववियालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतिया अधिक्रधित कर्ना;
(ङ) तिश्वविद्यालय के स्वैद्छिक परिसमापन के यारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ज़ सभी प्रयांसों के बावजूद विश्वयिद्यालय का सह्ज कृल्ल्यकरण संभव न हो; और
(च) ऐसी अन्य शक्कियां जो परिनियमों द्वारा दिहिल की जायें।
(3) प्रवंध खोई की किसी कर्तैंडर वर्ष में कम से कुम तीन वैठरे होंगी।
(4) प्रदंधे बोर्ड की बैठ्ठकों की गणपूर्ति पाँच से होगी।
23. विद्या परिषद्:- (1) विद्या परिपद् में प्रेसीडेन्ट और छतबो अल्य सम्द्न्य होंगे जितने परिनियमों द्वाग़ विद्हित किये जाये।
(2) प्रेसी़ेन्ट विद्मा परियद् का अध्यक्ष होगा।
(3) टिप्रा परिषद् विश्वाविघालय की प्रधान शैक्षणिक किकाय हौगी अर इस अधिनियम और तदभीन बनाये गयो नियमों, वितिचमों, परिकिसमों या आर्डनेंसों के उपबंधों के अध्यरीन रहते हुए, विश्यविद्यालय

47 (18) साजस्थान राज़-पन्त्र भई 18, 2017 भाग 4 (क)
की शैक्ष्तिक नीत्तियों में समन्वय रखेगी और उन प्रर साधारण अपीक्षण का प्रयोग करेगी।
(4) विदा परिषट् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी ज़ परिनियम्मो द्वारा विहित की जाये।
24. अन्य प्माधिकारी.- विश्वविद्यालय्य कर अन्य प्राधिकारियों को संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे हॉगो जो परिलियमों द्वशरा विद्टित किये जायें।
25. प्राधिकाी की सदस्यता के लिए निरहता,- क्रोई व्यकत विश्वयिएयन्लय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निर्रहित होगा यद्धि वत्
(क) विकृत चित है और सक्षम न्यायालय द्वारा एंसा घोधित है;
(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है:
(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वक्षित किसी अप्राध के लिए सिद्धदोष ठहराया जया है;
(घ) प्राइवेट कोचिंग क्ष्क्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्व्वय्य लग एहा हैं या
(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर आी अर्नुचित आचरण्ण में लिस्ष रहने चा इसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित हो चुका है।
26. रिक्सिएरं से विशवचिद्यल्यय के किसी भी प्राधिकारी की कूर्यवाहियों का अविधिकान्य न होना.- विश्वचिद्यालय के किसी भी फ़ाधिकरी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मान्र किसी रिसेत

27. आपात रिक्तियों का भरा जाना. किसी सद्दस्य की मृत्यु.

 विश्ववियालय की प्राधिकी़्या की संदस्यता में हुई कोई की रिक्तियां





सदर्य को नियुक्त या नामनिर्दिए किया था:
परन्तु किसी आपात रिक्ति के भाधार पर विश्वविद्यालय के प्रत्रिक्कारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नापनिर्दिघ व्यक्ति ऐसे सदस्त्य की, जिसके स्थान पर इसे नियुक्त या नामनिदिंस किया गया है, क्रेवल शेष अयधि के लिए ऐसे म्राधिकारी का सदस्य रहेगा।
28. समिति.- विशवविद्झालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्टेश-निबंधनों सहित इतन्ती सम्मितियां गठित कर सकेगो जो ऐसी समिद्तियों द्वरा सक्पार्दित किये जाने चाले विनिर्दिप कायों की लिए आवश्यक हौ। ऐसी समित्रियों का गठन और ऊलके कर्तट्य ऐसे होंगे जो परितियमों द्वारा विह्ति किये जायें।
29. परिन्नियम.- (1) इस आधिन्नियम के उसबंधों के अध्यंधीन रहते हुए निश्वविद्घालय के परिन्तियमों में लिम्नलिखित सथी या किन्ही भी माम्नों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
(क) विश्वविदालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्व्य, जो समय-सम्य पर गठित किये जानें;
(ख) प्रेसीइन्ट की नियुक्ति के निबंधन और शतें और उसकी शक्तियां और कृत्ये
(ग) कुत्न-सच्चिक और मुछ्य वित और लेखा अधिक्तरी की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उन्नकी शक्तियाँ और कुत्यं;
(घ) वह रीति जिससे और ऐसी कालाबधि जिसके लिए प्रोकोस्ट और कुलनानुशासक नियुक किये जासैंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य;
(ङ) वह रीति जिससे संक्याय का संक्रायाध्यक्ष नियुक किया झायेगा और उसकी शक्तिमां और कृत्यं:
(च) अन्य अधिकारेयो और अध्यापंकों की निय्युक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तं और इनर्की श़्तियां और कृत्य;
(玉) विश्वय्यिद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्त्रं और उनके कृत्म;
(ज) अधिक्सरियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विदादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्किया:
(झ) जानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;
(अ) आत्र्तों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्दे छइवृतियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान्न करने के संबंध में उपंद्ध;
(ट) स्थानों के अरक्षण के विद्यियमल सहित प्रवेश की तीति से संबंधित उपर्वंभ;
(उ) छनरों से प्रभशित की जाने वाली कीस से संवंधित उपवंध:
(ङ) विंग्मेन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों को संख्या से संबंधित उपनधध:
(द) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन्न;
(ग) लेख्या नीति और वितीय प्रक्रिया:
(ब) दयो विभागों का सृजन और विएमान विक्भागों का समापन या पुतः :संरचना;
(ब) पदक और पुरस्कार संस्थित करनना;
(द) पदों के स्जन और पदों की संकादि के लिए प्रक्रिया;
(ध) फीज का पुनरीक्षण:
(ल) विश्निन्न पाठ्य विवरण्णों में स्थानों की संख्या का पीरिर्तन: और
(प) समझ्न अन्य मामले जो ₹स अधितियम के उपर्धीं के अधीन परिलियमों द्वारा विक्तित किये जाने अपेक्षित हैं या विकहत किये जायें।
(2) विश्वविद्यालय के परिनियम प्रबंश्य Шंड़ं द्वारा बनाये जायेंगे और राज्या सरकार को उसके अनुमोटन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।
(3) ₹ज्य सरकार विश्वद्विकालय द्वारा प्रस्तुत किये गये पीरोशेयमों पर दिचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हो, सहिन, ओं घह आवश्यक समझ, उनकी प्रात्ति की तारीख से दो म्वास के मीतरभीत्तर उन्नका अनुमोदन करेगी।
(4) विश्यंखियालय राज्य सरकार द्वारा यभा-अलुमोटित परिनियमों पर उपनी सहम्मति संसूचित करेगा और यदि वह उप-धारा (3) के अधीन राज्यु सरकार द्वरा किन्ये गये किन्नीं की या समस्त उपांतरणों को प्रभावी

करने का इच्हुक नही है तो वह्त उसके लिए काराण दे सकेगा और ऐसे कारणों घर विचार करने के पश्चात् ग़ज्य सरकार तिशववियालय द्वारा दिये सये सुझावंं को F्वीकार या अस्सीकार कर सकेणी।
(5) रात्ज सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से चथा अनुमोदित परिजियमों को राजपन में प्रकाशित्त करेगी औंत तत्र्जात् परिनियन होसे प्रक्षाशन की त्तारीख सें प्रवृत्त हौंगे।
30. आडनेन्स.- (1) इस अभितियम या तदधीन दन्नाये गसे परिनियमों के उपबंधौं के अृ्यर्धील रहते हुप, आत्रेलेन्सों में निम्नलिखित समस्ल या किन्हीं भी मामझों के संबंध में उपबंध किल्या जा सकेगा, अर्थात्त्:-
(क) विश्वविद्यालय सें छानों का Wवेश और इस रूप में उसका नामांक्न;
(ख) विश्वव्विद्यालय की उपार्धियों, डिल्लोनों और प्रभाणपत्रो के लिए अभिक्रथित किसे जाने वाजे पाह्यक्रम्न;
(ग) उपधियां, डिफ्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपतिथां प्रदान करन्ना उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और इनके प्रद्दान किखे जाने और अभिप्राक्ष किये जाने के संवंध में किसे जाने बाते ड्रपास;
(घ) अध्यंतावृतियां, बत्रंवृत्तियां, वृसिकाएं, पद्क और पुरस्कार्क प्रद्नान किसे जाने की शर्तें;
(ङ) प्रीक्षा निकायों, जरीक्षकों और अनुसीक्मकों की पदावाधि और निभ्युक्ति की रीति और फर्तव्यों को रम्निलित क्रते हुए परीक्षाओं का संचालन
(च) विश्वविद्यालय के पाह्यक्करोों, पीक्षातऔ, उपाधियों और डिप्लीनों के लिए प्रभारित की जाने जाली फिसः
(छ) विश्वविय्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;
(ज) छानंतं के विर्द्ध अनुशसक्तिक कार्रवाई के संबंध में अपबंध;
(झ) ऐसे किसी अन्य निकान का स्रून, संरहाना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के रुक्षणिक जोवन में सुधार करने के लिए आव्रश्यक समझा जाये;
(ज) अन्य विश्वविद्याल़मों और उच्चतर श्रिक्षा संस्साओं के साथ सहकार और सहुयोँग की रीति: और
(ट) स़मस्त्त अन्य मामले जो इस अधिलियम या तटधीन बलनार्ये पगये परिरिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों ह्वारा उपवंधधित किये जाने भ्रपेक्षित हों।
(2) विश्वविदालालय के आड़िनेन्स्स विघा परिपद् ्द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हुं प्रबंध वोड द्वारा अनुमोदित किच्ये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदल के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) उप-धारा (2) के अधीन प्रस्त्तुत आर्डिनेन्स्सी पर राज्य सरकार, उनककी प्रास्ति की तारीख्र से दो मास्त के भीतर-भीतर विच्चार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव्व देगीती
(4) विद्या परिष्द्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्म्निलित करते हुए आडिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये ीििन्तीं भी सुझावों को सी्मिलित न करने के कारण देगी और से कारण, यदि कोईे हों, के साथ आड़िनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्रात्ति पर राज्य सरकार विया परियद् की हिप्पणियों पर विन्चाश करेगी और विश्वंवियालय के आर्डिनेन्स्रों को ऐसे उपान्तरणों संहित या उनके विन्ता अनुमोंदित करेगी।
31. विलियम.- विश्ववियालय के प्राधिकारी, प्रबंध तोई के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अपने स्वयं के और उनक्क द्वारा नियुक्त समिलियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियनों, परिन्नियमों और आर्डिकेन्सों से संगत विनियम बन्ता सक्किंगे।
32. प्रवेशा.- (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के भाधार पर किये जायेंगे।
(2) विश्वविद्याल्लय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में फ्रग्त अंकों या ग्र्ड और सह-पा्यंयच्या और पाठ्येतर क्रिन्याकलापों में उपलि्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचलित करने वाले विशवविद्यलनयों के संगम द्वारा या राज्य की किसी

एजेन्सीती द्वारा संच्चलित किसी प्रवेश परीक्षा में अर्षिक्राक्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवध्यारित की ज्ञा सकेगी :

परन्तु ट्यायसासिक और तकलीकी पाठ्म्यक्रमों में प्रवेश केवल्ल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।
(3) अनुसुचित जारतियों, अनुसुचित जनजमततियों, पिछड़े वर्णों. विक्षेष्ष पिछडे वर्गों महिल्काओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य स्सकार की नीलि के अनुसार होगा।
33. फीस संरचना.- (1) विश्वविधालय समय-समय पर भ्पपनी फीस संरचना तैयार क्रेगा औंर उसे इस प्रयोजजन के लिए यठित सीमिते के अनुमोदन के लिए भेजेगा।
(2) संनिति विश्वविवालय द्वारा तैस्यार की गयी फीस संरंचना पर विचार करेगी और यद्दि उसका सह समाधान हो जात्ता है कि प्रस्तावित फीस -
(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थान्-
(i) व्रिश्वविय्यात्नय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए सोत जुटाने के लिए; और
(ii) विश्वविद्याल्लय के और विकास के लिए अपेक्षित वचतों के लिए,
पर्यास्त है; और
 तो वह फीस संर्चना का अनुमोद्धन कर राकेगी।
(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संर्चना तील वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फ़िस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होग्गा।
(4) विश्वचिद्यालय ऐसी फीस से निन्नन, जिसके लिए वह उपधारा (3) के अधीन हूकदार है, किसी भी 'लाम से कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।
34. पर्तैक्षाएं, प्रत्येक शैक्षणिक संत्र के प्रारन्म पर और प्रह्येक फल्लैण्डर वर्ष की 30 अगस्त तक ने कि उसके घरचात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची

सैयार और प्रकाशित करेगा और उस अनुसूल्यी का कड़ाई से पानन करेगा।

स्पष्टीकरण.- "परीक्ष्त्रकं की अनुसूची" से प्रत्येक मश्न घन्न, जो परीक्ष्ता स्वीकाग का भाग हो, के प्रारनम के सकय, दिज और तारीख के बारे
 का क्यौरा भी सर्वन्मलित होगत:

परन्तु किसी की प्रकार के किस्सी बी कारण से यदि - विश्वविग्मालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ वहा हो तो वर्त यधासंभव एक रीपोट्ट, उसमें प्रक्लाशित अनुसूची का अनुसरण त करने के कारण समिम्नलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्त्तुज करेगा। राज्य सरकार उस पर ऐसे दिदेश जारी करेगी जो वह अनुसूपी के अनुपालन के लिए उचित समझझे।
35. परिणामों की घोष्षणा.- (1) विश्वविद्याल्लय अपने हारा संचर्चलित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की होपणा उस विशिष्ट पाट्यक्र्नम की परीक्ष्रा की अंतिम तारीख से तीस दिन की भीतर-भीतर करने का प्रयास करेगा और किस्सी भी दशा में ऐसे परेणाम ऐसी तारी़ीज से ज्यदा से ज्याद्रा पैंतालीस दिन के भीजर-दीतर घोषित करेगा:

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय उपर्युक़ पैंतालीस दिन की कालावीथ के कीतर-भातर किसी भौ परीक्षा के परिगार्मों की अंतिक रूप से घोग्रणा करने में अस्मर्थ है तो
 सज्ज्य सरकार को प्रस्तुत क्शरेगा राज्य सरकार उस पर ऐसे निदेशे जारी करेगी जो घह उच्चित समझे।
(2) कोई मी परीक्षा या किसी परीक्ष्ता के परिणान केबल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कित विशवविद्यालय ने धारा 34 या, यश्यास्थिति, इस धारा में पश्या-नियत सम्म-अनुसूची का पालन नहीं किसा है।
36. दीक्ष्षांत समारोहु.- किश्वपिसालय का दीक्षांत समारोद्ध प्रत्येक स्रक्षणिक वर्व में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमो द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किस्या जायेगा।






 प्रन्थायन्न को नर्वंकृत करवायेगा।
38. विश्वविपालघ द्वारा विनियमन्न निकायों के नियमों, दिनिखनें,




 का पातन दल्ने के निसे अप्र्ष्रा की जाये।
 वोई द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य वातो को साएन स्व विश्विद्याल्नय द्वारा अपने उद्देशयों की पर्ति के लिए उहाये गये कम्दम संक्मिसित होंगे और उसकी प्रति प्रारोजक निकम्य को पस्तुत की जायेगी।
(2) उप-चारा (1) के अधौन तैयार की गर्जी धार्षिक्ञ रेपोट्ट की जित्तियां राज्च्र स्रकार को मी ध्रस्तुत की जायेंणी।
40. वार्मिक हेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वदिएग्लय के तुलनमन सह्ति घार्षिक लेखे प्रवंध बोई के निटेशों के अधीन तैयार किये जार्योग और वार्षिक नेग्रे लिश्ववियालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुत्र संपरीक्षकों द्वारा घ्रत्येक वर्प में क्रम से कम एक वार संपरीक्तित्त किचे जार्यंगे।
(2) संपरीक्ष्रा रिपोर्ट सहित यार्पिक लेखों की एक प्रति प्रवंध वंर्इ को प्रस्त्तुत की जायेगी।
(3) प्रबंध वोई के संप्रेक्षणों सहित वार्पिक लेखे और संपरीक्षा रिपार्ट की एक प्रत्ति प्रायोजक निक्य को प्रस्तुत की जायेगी।



 निदेश जारी करेगा जां घह उच्चित सजढ़े और अंनुपूलन के जाई मों राज्य सरकार को रिपोर्ट की जादेंग्रा
41. राज्य सरकार की विश्वलिद्यालय का निरोंक्षग करने की




 परिरुंभ के संवंध में अंपनी सिक्फ़िशीं से विश्वर्निद्यालय को संसूचित
 च्रनुपाहत्त सुनि क्चित करसे से क्राे में प्रयारा क्रेग्रा।
(3) यदि विशद्धिचालग उ-धारा (2! के अधील की जर्यो
 रहा है तो राज्य स्रक्कार ऐरो हिदेश दे सकेंणी जो वह ऐोसे अनुपात्लन के लिए उच्चिल समझक्ष।
42. राज्ञ सरक्तर की स्प्यना की अपेक्ष्य करने जी श़क्तियां. (1) राज्य सक्लारर, विशक्वियद्याल्लय से उसके कार्वाकरण, फृत्व्यों, उपलध्धियों, अध्यापन के स्तर, परीक्षा अौर अनुसंसाल या ऐेसे किन्ती मी अन्य मामलन्लों के संथंध में. जो बह विशवविद्यात्र्य की दक्षता के हिर्णयन के लिए आवश्यक भ्रमझ्षे, ऐेसे प्ररूप सें और ऐसे रामय के भीत जर जो निव्यमों द्वररा विहित कि:्या जाये. सूगला की अवेक्षा कर सकेगी।
(2) विश्वद्विध्यालय, गुज्ज्य सरकार द्वारा उप-धारा (i) के अधीन चश्ग-अर्पोक्षित सूचन्ना विहित ससयद्य के भीहर किजवाने के लिए आबड होगा।
43. प्रायोजक निकायु द्वारा विश्वनिद्यालय का विषटन.- (1) प्रायंजक निवारय, हाज्य स्रकार अपर विर्वावियाल्यय के वर्मचारियों और



परन्तु सिश्चटिदालालग्र का दिषहटत राज़्य सरकार के अनुमोंदन

 फह्टान लिच्य जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।


44. कीजघय परीस्द्यितिर्यों गों राज्य सरकार व़ विशेज शंत्रियां.(1) यदि खज्य सरकार को खह मततोंत हो किक विशवीधियालय ने इस





 के भीतर कारप दर्शित करने की अपषेक्षा करते हुए इस चारे में नोंटिस
 चन्तिए।
(2) यदि उप-धारा (1) के अध्षीन जारी किये गये नोटिस घर विर्व्यविद्यालय का जवाय फ़ां होने पर रुज्य सरकार का यह समाधान हो




 जो कहं आव्श्यक समझंदा
 प्रयोजनली के लिए किन्हीं भी अभीक्कयनों की जांच्चं करने और कल पर रिपोर्ट करने के लिए किर्सी जंच अभिकारो या अंधिकारियों की निस्युक्ति कोगी।



 लेली हैं अथाही:-
(i) क्तसों ध्याति को समन करना अंर हाजिए कराबा और


 भगेक्ष्र करना; अंगर
(जा) हिसं! न्यायलक्य गी कर्यालय से लोक अभिलेख की अवेश्ञा कंगना!

 अंनिनियम खं, 2) की ज्ञार 195 उतैं अं्याय 26 के प्रयोजनों कै लिए




 इस अधिनिए कम के अधीन उसके द्वारा जारी किनहीं भी सिदेशी का


 खतरों है तो वह दिशब्दि्दालय के परिसमापन के अादेश करेगी और एक प्रशासफफ नियुक करेगा और तन्म्पधात् विश्वदियालय के प्राधिकारी अऔर अध्धिक्रंश उस प्रहससक के आदेश और निद्येश के अध्युपीन हौंगे।
(7) उप-4गारा (6) के अप्धीन नियुयुत्र प्रशासक को इस अधिनियम
 सनस्त कर्तव्यों के अध्यैधीन होगा और विश्वविय्याजय के कार्यक्यालपों का


जंतिम बैच अपन पाल्यक्रम पूणं न कर ले और उन्हें उपाधियां, हिएन्नोक


 इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य स्रक्रार को क्रेगा।
(9) उष-धारा (8) के अधान रिपोर्ट की प्रांसे पर राज्य सरकार्, राल्जन्न में अधिसूयना द्वारा, विश्यदिद्यालन को विघद्धित करने का अटेश जाई दुरेर्जा और ऐसी अभिस्तन्ना क्ष प्रकान की तारीख से विश्वविद्यालय जिर्घाटित हो जायेगा और विश्वविय्जाल्म की समस्त ज़्तियां और दाधित्द ऐसी तारीख से प्राय्योजक निकाय में निहित हो जाने
45. नियन बन्नाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अभितिसन
 नियम यना सकेगी।
(2) इस अधिंन्नियम के अधंन बनायें गये समस्त नियम, उनंके
市 सदंज के समक्ष्ध, जब बह सत्र में हो, हौंदह दित से अन्द्यू्न की
 सकेजी, रुज जायेंगे और यदि, उस स़ की, जिसकें वें इस घ्रकार रखे गरे है या ठीक ज़ाले सन्न को समासि के पूर्व राज्य विधान-अण्डल का सदन्न ऐसे किन्हीं मी निस्मों में कोंई मी उपान्तरण कऱता है या टह्ह अंक़ल्प करसा है हिं ऐसे कोई नियक नमीं बनाये जनि चाहिएं तो
 चशत्रिथिन, इनका कोई प्रभाव नहींदो होगा, तथापि, ऐसा कोई गता उग़क्तरण या वतिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी वात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिक्रुन प्रभाव नहीं एल्लेगा।
46. कठिनाद्यौं के निराकरण की शाक्ति.- (1) यदि इस
 तो रक्ज्य सरकार, पजज़तन में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐंसे उपबंध कर राकेगी जो इस अधिन्नियम के उपवंध्रों से Эसंगत न हों और जो उसे
 ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए भावश्नक स रमझधीन प्रत्ताओ珹:

परन्तु इस धारा के अध्धीन कोई भी अनेश इस अंचिलियन के
 किचा जायेगा।
(2) इस धारा के अर्धीन किंया गया प्रत्येक आंसेश इसके इस
 रादल्ध के समझक्ष रखा जायेगा।
47. अधिनियम का अध्यारोही प्रमावं होना.- इस अन्तिने दवं


 किरती प्रतिक्लूल तात के होले पर भी प्रभावी होंचे।

## अनुसूपी। <br> अवसंरमना

1. भूद्वि: गान वाहिका, नह्रील सांगानेर के खसरा रां. 2489, 2482 2483/6357, 2484, 6511/2495, 2465, 2474, 2476. 2475. 2464, 2459, 2466, 2467. 6478/2465 胡र गTम
 (राजस्नान) के ख्रस्रा सं. 500 एवं 504/1 में सनीढिप्ट 30.03 एकञ भूसि।
2. गक्तन:
(i) प्रशार्सानिक खण्ड:
(क) इकाइयों की संक्र्या और प्रयुण. 36


(ख) कुल भाच्छीदित क्षेत्र का माप; 1.633 वर्ग मीटर
(ii) शैक्ष्तिक खण्ड:
(क) इकाह्यों की संख्या और प्रदर्ग: 71

| इकाइयों का ध्रवर्ग | इकाइयों की संख्या |
| :---: | :---: |
| अनियांत्रिकी और प्रौदोगिकी | 22 |
| प्रवंध ${ }^{\text {a }}$ | 10 |
| औपपन्वेर्माए विज्ञान | 06 |
| अन्तुप्रयुक्त विज्ञान | 09 |
| फम्ट्युट्र अनुफ्योग | 09 |



| 分年 | 03 |
| :---: | :---: |
|  | 05 |
| अन्द्य | 07 |
| कुष इकाइयां | 71 |

 प्रयोगशालाएं, सुख-सुविधिएं और अन्य सुविधापं सान्मिर्मलित हैं
(ख) कुल आध्छाद्धित क्षेत्र का नुणा: 12,141 घर्ग मीहर
(iii) निवारीय खण्ड:
(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्गा: 06

| इकाइयों का पवर्ग | इंकाइयों की संख़्सा |
| :---: | :---: |
| कर्म च्चारिवृन्द्ध और अधिकारिर्ं के निकास | 04 |
| विएक्येयों के लिए छात्रांबास | $02$ <br> (48 विप्यार्थियं के लिए 24. करक्ष) |

 ख्रण्ड में समस्त क्त्रा या तों चतानुक्यित हैं या वायुशत़लित हैं।
(ख) कुत्र गाह्दाधित क्षेत्र का काप : 1,538 वर्यो मीटर कुल निर्मित क्षेत्र: 15,312 वर्ग मीटर
3. संकाय:

| शाखा | आचचार्य | साह आचार्य | सहामयक आचार्य |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| अभिर्यात्रिको और प्रौद्यो\|ि़की | 5 | 10 | 20 |
| प्रयंध | 4 | 1 | 12 |
|  | 2 | 4 | 7 |
| अनुप्रयुक्त विज्ञात | 3 | 4 | 7 |

$$
\text { भाग } 4 \text { (m) }
$$

| कानप्यूटर अन्ुुप्र योग | 2 | 4 | 8 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| चिदिए | - | 1 | 2 |
| नि़ेक्षा | 1 | 4 | 8 |
| फल | 17 | 28 | 64 |

4. शैक्षणिक सुयिवाएं:
(i) पुस्तकालयः

| शाखा | पुस्तकें | शीर्ष क |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1,219 | 784 |
| प्रवंधन | 765 | 252 |
| औण्रतनिर्भाण विज्ञान | 5.126 | 565 |
| अनुप्रपुक्त पिज़स | 65 | - |
| कन्प्यूटर अवुक्रयोग | 520 | 53 |
| विधि | 25 | - |
| शि़क्षा | 104 | - |
| कुत | 7,824 | 1.654 |

(ii) प्रथोगशतनाएँ:

| शाखा | प्रयोगशालाएं | संख्या |
| :---: | :---: | :---: |
| अभयतंत्रिक |  | 1 |
| और | ड्राईंग हुल | 4 |
| प्रैद्योगिक की | इलेक्ट्रोनिक्स अन्रयांगिकोग | 1 |
|  | प्रयोगसकाल | 1 |
|  | वैद्युत प्रसीगशात्या | 1 |
|  | वैद्युत और इल्लेक्ट्रोनिक्स कार्यशाला | 1 |
|  | मशील डिजाइन प्रयोगशाला यांत्रिक कार्यशान्ता | 1 |
|  | विद्युत इसेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत | 1 |
|  | प्रणाली प्रयोंगशाला | 1 |


|  | उत्पादि डिज़ाइन और वितास प़बोगशःाहा <br> इल्पादन अभिजांत्रिकी प्नयोंजशालता | 1 |
| :---: | :---: | :---: |
| पृव्येपन | कापा पग्रोगश़ाना | 1 |
| अबुप्रधुक्त <br> तिज्ञान | रहायन विजान प्रयोंनशाला गौनिक विज्ञान प्रयोगशफल्ना | 1 |
| कमन्प्यूटर अनुग्रयोग | कम्न्यूटर प्रयोगशाला मज्टीमीड़िया प्रयोगशकला इंटरनेट प्रोग्यांग्निंग क्रयोगशाला कक्प्यूटर जनित 今िजाइन/ग्राफिक्स प्रयोगशाला | 1 1 1 |
|  | कुल | 20 |

 औरीधनिगाण विज्ञान, अन्दुप्रयुक्त विज्ञाज, कम्न्यु्र अन्तुप्रयोग, शिक्षा, दिधि के लिए पुर्तकालय में 500 वर्ग मीटर ग्राप झं वाचनालय सुविधा उपस्देध है।
(iv) पत्र-प्यंकाष:

| शाख | राष्ट्रीय | अन्तरराष्ट्रीय | कुत्ल |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| अभुयांत्रिकी और प्रॉंयोगियो | 14 | 15 | 29 |
| प्रवंधन | 14 | 33 | 47 |
| औपधनिमोंण विज्ञाल | - | 01 | 01 |
| अनुप्रयुक्द्ध विश्षान | 01 | 05 | 06 |
|  | 02 | 07 | 09 |
|  | 01 | 07 | 08 |
| कुल | 32 | 68 | 100 |

(v) अन्च सुविधाएं:

1. यातमुतुक्लित सेमीनार हाल/सम्मेत्मन कक्ष
2. एटी.एम. युक्त प्रस्तावित वैंक शाखा
3. वाई-फाई प्रणात्ली स्सहिज 24 घण्टे ग्रोडड-बैंड सुचिधाएं

4. 8 वसों रहि्ति र्वसं का परिच्हन फ्ली़
 दाएर ${ }^{\text {W. }}$
5. 125 कें, ी. क्षमता क्ष ीिद्युत जनरस्र
6. कैसेटे हिया
7. सह-पाट्यच्यर्या किसक्लापों की सुन्चिधगयं:

एबलेटिक्स
वेड़िटन
वास्केटद्वात्व
किजेट
देवन्न टेनिरिः
दाक्षीवाल
अन्नुसूर्चा <

१ाखगयं जिलमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा:

1. अभिन्दोंनिकी और प्रौय्योगिकी
2. आयुस्दुर्वेज्ञान और स्वास्थ्य, चिकित्सा और आंषभ्थनिर्माण किजान
3. प्रवंधन, हीटदल प्रवंधन कुषि प्रबंधब पर्यर्यन और यात्रा
4. अनुप्रयुक्त विलाज
5. कम्प्यूटर अनुप्रयोग
6. 同拉
7. शिक्षा

8. मानीविकी, साक्माजिब विजान और लकित कलाए
9. शब्दावर्ली अव्ययल
10. महीचीविज्तान
11. कुषि और पशु-चिकित्सा विज्ञात
12. जन और मींदिया संचार, प्रत्रकारीता, फिल्म और पौंदोंगिकी
13. वैकल्पिक श्रेरेपी
14. जीधन किजान, धर्म

1e. दिसेपी मगषा
15. जैंक्ष पौौयोजितों
16. मन्नो प्रौख्यागिकी
17. टूर संचार
18. डिजाइन
19. स्थापत्यक्नला
20. शुरीत्रेक किक्षा और जेन्न बिज्ञान

ननाज कुमास टर्यास.
प्रमुख श़ासन सचिच।

## LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTAENT (GROUP-15) <br> NOTIFICATION <br> Jaipur, May 18, 2017

No. F. 2 (40) Vidhi/2/2016.-In pursunce of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publieation in the Rajasthan Guzette of the following translation in the English languge of the Proudyogike vishmividyataya, Jaipur Adhinisam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Stwankyank 28):-
(Aulforised Etiglish Translation)
THE ENVERSITY OF TECHNOLOGY, JAIPER ACT, 2017 (Act No. 28 of 2017 )
[Received the ussent of the Govemor on the $17^{\text {th }}$ day of Apil, 2017]

$$
A n
$$

Act
to provide for entabliwhent and incorporaten of the University of fechmogy, flepm in the Stare of Rojoshon and maters comected berewitt and incidental thereto.

Whereas, with a view to keep pace with ine rapid derelopment in all spheres of knowledge ins the world and the contary; it is essential to create wond level modent research and sundy Lacilities in the State to provide state of the art eduational

Wicitifes to the youth at their dour steps so that they can make out bet them human resoures compaible to fiberalized conomic and sucial order of ine world:

And wioreas rapid adzancenernt in knowledge and chateing requithents of human resources makes it essential that a teponceful ant quink and responsite system of educational watroh and development be created which can work with intrepreneminl zead under an essential regulatory set up and such a assem can be created by allowing the private insitutions engaged
 wablish unversities and by incorporating such universities with stach regulatory provisions as ensure efficion working of suel? insitufions;

And whereas. the Deepshiliba Kala Sansthan, Jaipur is a Socety registered under the Rajasthan Societies Registration Act. 1958 (Ace No. 38 of 1958) al Registration No. $307 / 1976-77$ dated 28.10.1976 in the oftice of Reyistrar, Socetios, Rajasthan, Jaipur.

And whercas, the sain Deepshikha Kala Sansthan, laipur las set up educitionul infrastuctares. both plysical and acedemic. as specilied in Schedule-I, at Village Vatika, Thehsil Sanganer and Village Fathelpuat bass, Valik, Tebsil Chaksu. Distrist Iapur in Whe State of Ratiasthan and has abted to invest the satd infrastructure in a University for researeh and stacties in the disuiplines speciffed iry Schedak-II and has also deposiled an anount of rupes two crores to be utilized in astablishmine of an andownent find in accordance with the provisions of this Act;

And whercas, the sufficiency of the abowe infrastructure las been got enyluired intu by a comonitee, appointed in this behalf by the State Gowernment consisting of the Viee-chancellor, Maharaja Ganga Singh Lriversity, Bikaner, Director. Poddar Institute of Management, University of Rajasthan, Jaipur, Head, Deparment of Pharmaey. Suwai Man Singh Hospitaln Jaipur, Principal, Mahila Engineting College. Aimer and Dean Faculty wit Education. L'niversity of Rajasthan. Mapur;

And whereas, if the aloresaid infeatructare is ulilized in incorporation wa Liversity ard the satd Decpshikha Kala Sonsthun, Jaipir is allowed to run the University, it would contribute in the acedemic developnent of the poopte of the State:

Be it entacted by ithe Rajastian State Legislature in the Sixty-eight Yeald of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commenectnent- (1) This Act may the called the tiniversity of "Cechnology, Japar Act. 2617.
(2) It cxtends to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force at once.
2. Definituns.- In this Act, unless be context ohbruisk requires.
(a) "AlCTE" means All India Council of Techutcal F-ducalimn estahlished under Alt India Council of Technical Education Act. 1987 (Central Aet No. $52 \mathrm{a}^{\circ}$ 1987);
(b) "CSSR" means the Council of Scientitic and Indusuial Resentch, New Delli- a lunding dgency of the Cemal Gwermment;
(c) "DEC" neans the Distance Education Council established under section 28 of Indira Gandhi National Open Liniversily Act. 1985 (Central Aut No. 50 of (985):
(d) "distanee education" raeans education jmparted by combination of any two or more means of commubication, viz. hroadanting. teleatating. correspondence courses, seminars, contact progammes and any oder such mothoology:
(e) "DST" means the Department of Scicnee and Technology of the Central Goverment;
(f) "cmployee" means a person apointed by the University to work in the University and ineludes tewhers. offeers and other employees of the L'menersity;
(g) "fee" meams collection made by the Liniversity fiom the students by whatever mame it nay be called. which is not refundable;
(h) "Goveriment" means the State Govermment of Rajashlum:
(i) "higher education" means stady of a currieulum or course lor the purstia of knowledge beyond $10+2$ level;
(j) "lostel" means a place or residence for the stadents of the University, or its calleges, instiations or centers. mantained or recognized to be as such by the University;
(d) "ICAR" means the matian Comacil of Agriculture Researeln a sweicty registered ander the Societios Registruliwh Act. 1860 (Central Aet No. 21 of 1860 );
(1) "WCI" means Medical Council ot Inda constituted untier section 3 of the Indiat Medical Courcil Act. 1956 (Central Aet No. 102 of 1956);
(m) " NAAC " mems tho Nrational Assessment and Acteditation Comeil. Bangalore an autonomong institution of the UGC:
(n) "NCTF" means the National Comeil of Teasther Fulucation constiuted under section 3 of the Namimal Council of Teacher Educution Act, 1993 (Central Aet No. 73 of [993);
(o) "ol't canpus centre" means a centre of the University estahlished by it outside the main canpus operated and matentined as its constitemt unt, having the Lniversity's complement of lacilities, factry and stailf:
(p) "PCl" uteans Pamacy Council of India constituted under section 3 of the Pharmey Act. 1948 (Central At No. 8 of 1948):
(q) "puescribed" means prescribed by Statutes made under this Aet:
(r) "regularing body" menns a body established or constituted by or under any law for the time beiny in fore laying down noms and conditions for consuine acodenic standerds of higher edmation, such as WC. AICTF, NCTE, MCI, PCI. NAAC, ICAR. DIC, CSIR etc. and includes the State Government;
(s) "rules" means the rules made ander this Act;
(t) "Sthedtue" means the Schedule to this Act;
(a) "Sponsoring Body" means the Decpshikhar Kala Sansithan, Jaipur, a Societs registered under the Rujasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958 ) at Registrution No. 307/1976-77 dated 28.10 .1976 in the office of the Registratr, Sociaties. Ruidisthun. Jajpur:
(v) "Statutes", "Ordinateres" and "Repulations" mean respectively, the Statucs. Ordinances and Regulations of the University made under this Act:
(w) "stident of the Uuiversity" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or oher acadmic distinction duly instituted by the Universits: inclucting a researeh degree:
(x) "study centre" means a centrc estahlished arad manatained or recognized wo the Eniversity for the purpose of advising. counselling or for rendicring any other assistance reguired by the students in the context of distance education:
(y) "tercher" means a Professor, Associate l'rofessor, Assistant Professor or any other person required to impart education or to yuide rescarch or to render guidance in any other form to the students fiom pursuing a course of study of the University;
(z) "UGC" neans the Liniversity Grants Commission. estiblished under section 4 of the University Grans Cummission Act. t956 (Central Act No. 3 of 1936): and
(za) "University" means the liniversity of Techrology. Juipur,
3. Ineorporation- (t) The first Chairperson and the first Presiden of the Lhiversity and lie first members of the Buard of Wanagenent and the Academic Council and all persons who may hereafter become such olicers or members, so lung as they continue to hold such olfice or membership. are herchy constituted a body cofporate by the name of the University of Techueloy, Tapur.
(2) The movable and immovable property specified in Stledule-I shall be wested in the Chiversity and the Sponsoring Hoty shatt, immediately ater the commencement of this Act. take steps for such vesting.
(3) The University shatl have perpetanl succession iund a common seal it.d shall sue and be sued by the said name.
(4) The University shill situate and have is hadquarters att Viltope Vatkia Tehsil \$anguner District Jajpur (Rajasthan).
4. The objects of the University:- The objects of the University shall be to undertake research and studies in the disciplines specified in Schedule-ll and such other disciplines as the University may with the prior approval of the State

tiovernment, determine from time to time and to achiter sacellence and impart and disseminate knowledge in the said disciplines.
5. Powers and functions of the University:- The [niversity shall have the f flowing powers atud functions, nancly:-
(a) to provide for instuction in the discipines spuctited in Schedule-II and to make provisions for rescare! and for the advanement and dissemination of knowledge:
(b) to grant. subject to soch conditions as the Ureversity may determine, diplomas or certiticates, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, cualuation or ary other method of lesting on persons, und to whithdraw any such Jiplonas, certificates, degrees or other academic ilistinctions for good and sulficient cause;
(c) lo organize and to undertake extramural studies and extension service:
(d) to confer honomy degres or oflher distinctions in the manner preseribed;
(e) lo provide instruction, including correspondence and such other courscs, as it may detemine:
(1) 10 institule Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other leaching or acudemic posts required by the University and to make appointment thereto;
(p) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto:
(h) to appoint persons working in any other university or organization baving specific knowledge frermanently or for a specified period;
(i) to cooperate, collaborate or associate with any oher university or authority or institution in such manner and for such purpose as the University may determine;
(j) to establish study centres and maintain schowls. irrotitutions and such centres, specialized laboratories or other units for research and justructons as are in the opinion of the University necessary for the furtherance of its object;
(fi) in institure and award icllowships, sciolarships. studentships. meduls and prizen;
(1) to estohlish and maintain lostels for students of the C'nivercily:
(mis to nake provisims for research and consultancy. ind for that pupose to enter into such analgements wilh other institutions or bodies as the University may drem uecessary;
(n) wo demintine standards for admission into the l'niversity. which may include examination. cy:tuation or ans onther method of testing:
(o) :u denind and receive payment of foes mad oher charges:
(p) to supervise de residences of the students of the 1 Iniversity and to make arrangements for the portostion of their health and general weifare;
(q) to make special arrangements in respect of wonco students as the University may consider desirable;
(v) to regulate and enforte discipline anong the employees and sudents of the tiniversity and take :rch disciplinary nensures in this regard as may be Jemed neeessary by the Liniversity:
(s) We make arrengements for prometing the healthe and Eneral wiffere of the employes of the University;
(0) to receive denations and acgurire, hold, manage and di ispose of any movable or inmoteble propery;
(1) 11 b boriow money with the approval of the Sponsoring Indy for lie purposes of the University;
(v) w montgage or hypollecate the property of the Liniversily with the approval of the Sponsoring Bods;
(iw) 1: establish examination centres:
(x) to ensire that the standard of degrees, diplomss, certificates and other academic distinctions are not tuwer than those laid down by AICTE, NCTE UGC, MCI. PCI and other similar bodies ctablisted by or under any law for the time being in force for the regulation of education;
(y) 10 sel up off-cmmpus centre within the Slate. subject to the provisions of any other law for the tine being in force; and
(z) to do ail such uther eets and inims as may in necessary, imedemtal or cond:cine to the atminument of ali or any of the objects of the Linversity.
6. Eniversity to be self-finauced. The Universily shail her self-finuned and strall not be entiled to recuive aty gent at other finmeial assistance from the State Government.
7. No puwer of affilation, The University shall have ne pumer to athlaile or ohkerwise athit to its privieges any cinor insritution.
8. Jinduyment Fund.- (1) There shall be establisheci art Endowment Fuid as soon as may be after coming into fore of this Act widh an ameunt of Hupes two crotes whech has buen deposited by the Sponsoring Body with the State Government.
(2) The Endownent Fund shall be used as security dupust to consme that the University complies with the provisions of this Act and finctions as per provisions of this Act, Statutes and Ordinances. IJe Etate Goverament siall bate the powers a Fiortent, in the prescribed maner. a part or whene of lie Endownent Fund in case the University or the Sponsoring Rowiy contravenes any of the provisions of this Aet or Statutes. Ordinanes. Requlations or rules made therender.
(3) Jacone from the Eadownent Fend may be utiazed for development of infrastructure of the University but shall not te utilized to meet out the recurring expenditure of he limiversity.
(4) The amount of the Endowment Fund shall be intested and lieps invested until the dissolution of the University in lons tem securties issued or guaranted by the Stute Govanimeni at diposited and kept deposited until the dissolution of the Unilvmett. in the interest bearing Personal Deposil Acecunt of the \$ponsoring Body in the Gonernment Treasury.
(5) In case of investment in lone term security, the certificates of the securities shall be kept in the safe custody of the State Govermmen and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit Account in Govemment Treasuiy, the deposit slaill be made with the condition that the amount shall mot be withdrawn without the permission of the State Government.
9. General Fund.- The University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which followins shall be credited, namely:-
(a) lees ond other charges received by he University;

(b) any contributions made by the Sponsoring Body:
(c) any income received from consultancy and other work undertaken by the University in pursuance of its objectives;
(d) trusts. hequests, donations, endownents and any other grants; and
(e) all other stuns received by the University.
10. Application of General Fund.- The General Fund shall be utiljed for meeting all expenses, recurring or nonracuring, in comection with the aflars of the Unversity:

Provided that no expenditure shall the incurted by the Liniversity in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without the prior afproval of the Board of Manderment.
11. Officers of the University, The following shall be the officers of the University, namely:-
(i) the Chaiperson;
(ii) The Fresident;
(ii) the Pro-President:
(iv) the Provost;
(v) the Jroctor;
(vi) the Deans of Faculties:
(vii) the Registrar;
(viii) the Chief Fifance and Accounts Olficer; and
(ix) such other officers as nay be declared by the Statutes to be the officers of the University.
12. The Chairperson.- (1) The Chairperson shall be apointed by the Sponsoring Fody with the consent of the State Govemment for a period of live years from the date on which he enters upen his office:

Provided that a Chairperson shall, notwithstanding the expiration of his tema, contime to hold office uatil his successor enters upon the office.
(2) Any vacancy in the office of Chairperson shall be filled within six monhs from the date of such vacancy.
(3) The Chaiperson shall, by viruse of his office, be the lead of the University.
(4) The Chairperson shall, if present, preside at the moetings of the Board of Management and at the convocation of
the University for conterring degrecs, diplomas or olher academic distinctions.
(5) The Chairperson shall have the following powers, namely:-
(a) to call for any information or record in conmection with the affairs of the University:
(b) to appoint the President;
(c) to renowe the President in accordance with the provisions of sub-section (8) or section 13; and
(d) such other powers as may he prescribed by the Statutes.
13. The President.- (1) The President shall be appointed by the Chaiperson from a panel of three persons recommended by the Board of Wanagement and shall, subject to the provisions contimed in sub-section ( 8 ), hold office for a term of three years:

Provided that after expiry of the term of three years a person shall be eligible for re-appointment for another term of thete gears:

Provided firther that a President shall. notwithtanding the expiration of his tem, continue to hold offiee until his successor enters upon the office.
(2) Any vacancy in the office of President shall be filled within six montise from the date of such vacancy.
(3) The President shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superimtendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the authorities of the University.
(4) The President shall preside at the convocation of the Unitersity in the absence of the Chairperson.
(5) If, in the opinion of the President, it is necessary to take immediate action on any mattor for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafier report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course deall with the matter:

Provided that if. in the opinion of the officer or authority concerned, such action should not have been taken by the Presidem then such case shall be referred to the Chairperson, whose decision thereots shall be final:

Provided further that where any such action taken by the President affects any person in the service of the University, suclt
person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to dee Shourd of Mandement and the Board of Manamement may confirn or modify or teverse the action taken by the President.
(6) If, in the opinion of the Presidente any decision of any atuthority of the University is outside the powers confertud by this Act ur States. Ordinances, Regulations or rules made thereunder or is likely to he prejudicial to the interests of the University, he shall direct the athority concerned to revise its decision within lifteen days from the date of its decision and in case the authority reluses or fails to revise such decision, then such matter shall be retiered to the Chaiperson and his decision therem shall be final
(7) The President shall exercise such other powers and perfom such other duties as anay be prescribed by the Statutes or the Ordinarces.
(8) If the Chaiperson is satisfied, on an enquiry made or caused to be made on a representation made to him or oherwise, that the contintance of President in his office is prejudicial to the interests of the University or the situation so warrants, he may, by an order in writing and stating the reasons therein for doing so, ask the President to relinquish his office fiom such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action tinder this subsection, the President shall be given an opportunity of being heard.
14. The Pro-President. (1) The Pro-President shall be appointed by the Chaiperson in consultation with the President.
(2) The Pro-President shall hold olitice for a period of thre years and shall be etigible for re-qppointment for a second term.
(3) The conditions of service of the Pro-President shall be such as may be prescribed by the Statutes.
(4) If the Chairperson is satisfied, on an enquiry made or caused to be mede on a representation made to him or otherwise. that the continuance of the Pro-President in his olfice is prejudicial to the interests of the University or the situation so wurfants, he may, by an order in writing and stating the reasons therein for coing so, ask the Pro-President to relinguish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this subsection, the Pro-President shall be givenan oppottunity of being heard.
$\qquad$ साजस
(5) The Pro-President shall assist the President in such nuatters as are assigned to him by the $P$ resident from time to time thad shaff exercise such powers and pertorm such functions as may be delegated to hims by the President.
15. The Provost.- (I) The Provost shall be appointed by thin President for such period and in such manner as may be prescribed by the Stautes.
(2) The Provost shall ensure discipline in the University and slan keep the various unions of the teachers and employees advised of the various policies and practices.in the University.
(3) The Provost shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.
16. The Proctur.- (1) The Proctor shall be appointed by the President for such period and in such manner as may be preseribed ty the Statutes.
(2) The Proctor shall be responsible for the maimenance of discipline among the students and keep the various studenis' unions advised of the various policies and practices in the University.
(3) Thu: Proctor shall exercise such other powers and perform such other duries as may be prescribed by the Statutes.
17. The Dean of Faculty:- (1) There shall be a Dean of cach Faculty who shall be appointed by the President for a period of theer years in such manare as may be preseribed by the Statutes.
(2) The Dean shati convene meetings of the Faculty, as and when required, in consultation with the President and shall preside over the same. Fhe shail formulate the policies and development programme of the Faculty and prescat the same to the appropriate authorities for their consideration.
(3) The Dean of Faculty shall exercise such other powers and perform su:l other duties as may be proscribed by the Statutes.
18. The Registrat.- (J) The Registray slanll be appointed by Whe Chairperson in such manner as may be prescribed by the Statues.
(2) All contracts shall be signed and all documents and reeords shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.
(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Board of Managencont and Acodemic Council but he slanl not have a right to vote.
(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such olter dutties as may be preseribed by the Statutes.
19. The Chicf Finance and Accounts Officer,- (I) The Chief Finance and Accomats Officer slall be appointed by the P'esident in such manner as may be prescribed by the Stitutes.
(2) The Chicf Finance and Accounts Officer shall exercise such powers anduperform such duties as may be prescribed by the Statutes.
20. Other officers.- (I) The Tiniversity may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.
(2) The manner of appointment and powers and functions ot such officers shall be such as may be prescribed by the Statutes.
21. Autherities of the Uuiversity.- The following shall be the authorities of the University. namely:-
(i) the Board of Management;
(ii) the Academic Council;
(iii) the Facultics, and
(iv) such olher authorities as may be declared by the Statutes to be the authoritios of the University.
22. The Board of Managenent.- (1) The Board of Whagement of the University shall consist of the following, nancely:-
(a) the Chairperson;
(b) the President;
(c) five persons nominated by the Sponsoring Body out of whom two shall be cminent educationists or specialists in disciplines specified in Scliedule-II;
(d) one expert of management or information technology from outside the University. noninated by the Chairperson;
(e) one expert of timartes, nominated by the Chairperson;
(f) Commissioner, College Fducation or his nomince not below the rank of Deputy Secretary; and
(g) Two teachers, nominated by the President.
(2) The Board of Management shall be the principal execuive body of the Uaiversity. All the muvable and immovable property of the University shall vest in the Board of Management. It slald have the following powers, namely:-
(a) to provide gencral superintendence and directions and to control the functioning of the

Universiry by wing all such powers as atre provided by this Act or the Statues. Oedinances. Regelations or moses mate theributer:
(b) 10 review the decisions of ofine unthotites of the University at case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Sialues. Ordinances. Regulations or rules made thereunder:
(c) to aprove the buderet and annuat teport of the Unisersity;
(d) to lay down the policies to be dullowed by the University,
(e) to recommend to the Sponsoring Body about the voluttary liefuidation of the University. if a situation arises when smooh functioning of the University does not remain possible, in spite ol all efforts; and such other powers ts may he preseribed by the Statutes.
(3) The Board of Wanamenent shall meet at least three limes in a calentar year.
(4) The quorum for mechings of the Bond of Management shatl be fives.
23. The Academic Council.- (1) The Academic Council shult consist of the President and sueh other members as may be preseribed by the Statules.
(2) The President shall be the Chatrperson of the Acudemic ('runcil.
(3) The Academic Council shall be the principal acadeninc hondy of the Liniversity and shatl. subject to the provisions of this Ant and the tules, Regulations. Statutes or Ordinances madu theremder, co-iodinate and exercise general supersision over the atalemic policies of the Unversity.
(4) The quorm for meetings of the Acadomic Counci] shitl be such as may be prescribed by the Statutes.
24. Other autharities.- The composition, constitution. perters and funstions or other authoritics of the Lniversity shall be swid as may be prescribed by the Statules.

25. Discualification fur membership of in authority.- A person shall be disqualified for beine a member of any of the whthorites of the University, if he-
(a) is of unsound mind and stansls su dectared by a comperent court:
(b) is an undischated insolvent;
(c) bas been convicted of ay ollence involving moril turpitude:
(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or
(e) has heen purished for indulging in or promoting untair practice in the conduct of any examinettion. in any form. anywhere.
26. Vacancies not to impaldate the procedings of ans muhority of the Liniversity.- No act or poceeding of ats anthority of the University shall be invalid merely by reasm of ang atancy or defect in the constitution thereof.
27. Filling ap of emequent vacancics- Any vanacies uctured in the menbership tr authorises of the University due tu death, resignation or renoval of a member or due to change of carteity in whish he was appointed or nominated, shall be filled ap as early as possible by the persen or the hody who had appointed or nominated stoh a nember:

Provided that the persom appointed or mominated as a menber of an andionty of the University on an emergent vacancy shald remain momber of such authority for only the ramainang periou of the a mber in whose place he is appointed or nominated.
28. Cuamitte. The authonites of oflicers of the University mat constitute such committes winh such derms of metrence as may be aecessary for specific tasks to be performat by such conmitees. The constitution of such commitces and their thates shatl be such as may be prescribed by the Statutes.
29. The Statutes, (1) Subject to the provisions of this Act, We Statutes of the University may povide for all or any of the firlowing matters. mamely:-
(a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University as may bo constituted from time to time:
(b) the terms and conditions of apponment of the President and his powers and functions:
(c) whe manner and lems and conditions of appointment of the Registrar and Chef Finarm and Accounts Officer and their poters and functions;
(d) the matract in which and the period for which the Provost and the Proctor shall be appointed and their powers and functions:
(e) the manner in which the Dean ol Faculty shall be appointed and his powers and tunctions:
(n) the manner and terns and conditions of appointment of other officers and teachers and their powers and functions;
(g) the terms and conditions of service of employees of the University and their Junctions;
(h) the procedure for arbitration its case of disputes between officers, teachers. employees and students:
(i) the conferment of honerary degrees:
(f) the provisions regarding exemption of students from paynent of tultion lee and for awarding to then scholarships and fetlowships;
(k) provisions regerding the policy of acmissions. inctuding regulation of reservation of seats;
(1) provisions regarding fees to be sharged from students;
(m) provistons regarding number of seats in different courses;
(12) creation of new duthorites of the University;
(o) accounting policy and financial procedure;
(p) creation of new departments and abolition or restructuring of existing departrients;
(c) instifution of medals and prizes;
(r) creation of posts and procedure for abolition of posis,
(s) revision of tees;
(t) alteration of the number of seats in different syllabi: and
(a) all other maters which ander the provisions of this Act are required to be, or may be, prescribed by the Statutes.

(2) The Statules of he University slatl be made by the iseard of Mriagement and shall be subvitted to the Stas Ginermanth for its approval.
(3) The State Governmem shafl consider the Statues submited by the University and shall give its approval thereon: whini two months from the date of its receipt with sued miniifications, if any, is it may dem necessary.
(4) The University shall commuricate is agrement to we Shates as approved by the Siale Government, and if it desires the to give eflect to any or all of the medifications made by the Stuth: Govemment uder sub-section (3) it may give reasons therefor and aticer considering sted reason, the Siate Guvernment may or may not accept the sugeestions made hy the University.
(5) The State Government shall publish the Statues, as bindly apmoved by it, in the official Gazente, and thereater, the Stantes shatl come into foree from the date of such publication.
30. The Ordinances.- (1) Subiect to the provisious of thas Aet or Statues made theremader, the Ordisunces may provide for all or any of the iollowing maters, namely:-
(a) the adrission of students to the University and their enforment as such;
(b) the courses of study to be laid down for the degress. diplomas and certiticales of the University:
(c) the award of the degrees. diphomas. certificates and ofter academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the measures to be taken relating to the grating and obtaining of the same;
(d) the condirions for award of lellowships, selolarships, stipends, medals and prizes;
(e) the conduct of exaninations, induding the terms of offiee and manner of appointment and the dutic: of exanning bodies. examiness and moderators;
(f) fees to be charged for the courses, examinations. degrees and diplomas of de University:
(g) the conditions of residenee of the sudents of the University:
(h) provision regarding disciplinary action against the students;

भाग 4 (क) . राजरश्युन राज-पत्र, मई 193.2047 47 (53)
(i) the creation, composition and functions of any orlutr body which is considered necessary for inproving the academic life of the University:
Whe manker of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher ellucation; abd
(k) all other maters whith by this Act or Statutes made thereunder are requited to be provided by' the Ordinarmes.
(2) The Ordinances of the University shall be made by the Acidemic Coancil which, atter being appoved by the Brard os Namgement, shall be submitted to the State Govemment for its ipproval.
(3) The State Government shall consider the Ordinances subnitled under sulb-section (2) within two mondis from the date of their receipt and shall cither approve them or give suggestions for numilications merein.
(4) Ihe Academic Council shall either modify the Urdimences incurporating the suggestion of the State Govermment ur give reasons bor not incorporating any of the suggestions made hy the Stat: Govermment and shatl retum the Ordinatees alone with such reasons, if any, to the State Government and on receipt nf the sane, the State Government shall consider the comments of ${ }^{-}$ the Academic Council and shall approve the Ordinances of the Liniversity with or without such nodifications.
31. Rerulations.- The authorities of the University massubject to the prior approval of the Berard of Nanagement, make regalations, consistent with this Act and the rules, Statutes and the Ordimences made thertmen. for the condurt of their own busimess and that of the commitees appointed by them.
32. Admissions, (1) Adnussion in the University shall be nade suictly on the basis of merit.
(2) Merit for admission in the University Ray be dethmined either on the basis of marks or grade oblained in the unalifying examination and achievements in co-curicular and extra-curicular activities or on the basis of marks or grade abtained in the entrance test conducted at the State Jevel either by an association of the universities conducting similar coluses or by ally agency of tie State:

Providet that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.
(3) Rexorbution in aidnissime to the Tniwarsity fur abedided eastes. scleduled tribes. backwand casses. speepial backwod classes, women and handicapped fersonts shall but pron ided as per the policy ol the State Goverment.
33. Fee structure- (1) The University muy, from time to: !ime: prepare its fees structure and sem it for aprowal of the committere consituted for the porpore.
(2) The committee shall consider the fees structure prepared by the University and if it is satisfice that the proposed fees is -
(a) sufficient for -
(i) generating resources for mesting the recurfing expenditure of the Lumarsity; and
(ii) Ihe savings required lor the furdher development of the University and
(th) not urretsonalhy excessive.
it may duppowe the fees structure.
(3) The fees structure appored by the commitere undtr. sub-section (2) shall remain in foree for three years and the llaiversity shall be emitled to charge fees in acomane with sump fees structure.
(4) "he Untwersity shall noe charge any lees b: whatever mane called. other them that for which it is entitled under sub-5ection (3).
34. Examinations- At the begnong of each academio
 calendar yar- the University shall prepare and publish a schedede of examinations for each and cvery coutse conducted by it and wall :urictly adjere to the schedule.

Fxplanation,- "seledule of examination" mans a cable giving teails ahout the time, day and dalm of the conmencentern of each paper which is a part of a scheme of examinations and shatl also include the details about the practical examimations:

Provided that if, for any reason whatsouer, the Universily has been matele to follow this sehedule, it shall. as soon is pracicable. sulvmit a report of the State Government incoryoratiog the reasons for making a depatetere from the published schedule. The state Government may, thereon. issur such dimetions as it may deen lit for the compliance of the schedule.
35. Dedtration of results.- (1) The University shall strive to deelare the results of every examation conducted by it within thing days from the last date of de examitation for dat partientar
conase and shald in any case dechare the resulte latest within fortylina das firmo such date:

Provide that if, for any reasum whatsoever, the University ir ubable to fandy dectare the results of any texamination within
 jucorporating the reazons tor stach delay to the State Governatert. The State Gowerment mivy, thereon, issue such directions as it mall deem ti.
(2) No zamination or the results of an examination shall he hed envalid only for the reasons that lise Uaiversity hes not dillowed the time seludale as stipulated in section $3+$ or, as the Lulse may he, in this section.
36. Convocation.- The con ocation ol the Linirerity shall he held in exery academic yoar in the manare may be preseribut ly the Stantes for condering degtes, diplomas or for any other pempose.
37. Acceditation of the University. The University shal! nbeain atecreditation fitom the NAAC. as per the norms of the N. ludies which are connceted with the colurses taken ap by the limensity about the eracte provided by the NAAC w the Ifaisersity. Tha Uniserity shald get renewed sach acerediation finte time to time as per the nambs of the NAAC.
38. Unisersity to follow rules, regulations, nomms, ete. af the regufating bodies. Nombithstanding anthing contained in this Ach the University shall be bound to comply with ail the rules. deduations. moms, etc. of the regulating budies and proside all stolt facitices and assistance to shen budes as are requited by dean to dischare their duties and catry vut heir functions.
39. Abrual report- (1) Tha annual repurt of the I niversity shall be prepured by the Board of Management which shatl inchode amper other maters. the steps taken by de
 sume shall be submitted to the Sponsoringe body.
(2) Copiss of the annur eport propmed mader suly-Stetiont (i) shall also be presented to the State Government.
 including batanes shest of the University shat be prepared meder the divections of the Board ot Bhapement and the ambal acomants shall he madect al teast once in orery yeu by the atidors appointed by the University for this purpose.
$\therefore 7$ (56) _ राजस्थिन साज-पुत्र, मईं 18,2017 $\qquad$
(a) A eapy of the antual aecounts together with the audit riport shall be submitted th the Board of Management.
(3) A cupy of the amual aceounts and atidit report aluny witi the observations of the Board of Managemen shall he: subturited to the Sponsoring Hody.
(4) Copies of anual acconars and balance sheet prepared under sub-section (i) shall also be presented to the State Gwemment. The udvice of the State Govenment, if any, arising oth of the accounts and audit report of the Chiversity shall be phaced belore the Board of Namagement. The Board of Whagement stall isste such directims, ats it may deem it and compliance shall be reported to the State Gusermment.

4t. Powers of the State Gavernment to inspect the Unversity- (1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and rescirch or any other mater relating of the Liniversity, We State Govermmen may enuse an inspection to be made in such manner as may be prescribed, by such persen or persons as it may deem fit.
(2) The State Government shatl conmumicate to the University its recommenditions in regard to the resth of such taspection for corrective action. The University shall adopt such corrective mensares and make efforis so as to ensure the compliance of tise recommendations.
(3) If the University has fatiled to comply with de recommendations made under sub-scetion (2) within a reasonable time, the State Government may give such directions as it mas deem fit for such compliance.
42. Powers of the State Government to call for iuformation. - (1) The Slate Govermment may call for jntormation from the Uliversity relating to its workinge functions. : Ichieverments, standard of teaching, examintion and restarch or why other maters as if may consider necessary to judge the whicency of the University in such form and within such time as may be prescribed by rules.
(2) Th: Uniwersity shall be bound to firroish the infermation ats iequired by the Slate Government under sub-section (I) within the prescribed time.
43. Dissolution of the Unitersity ly the Spansoring Body.- (1) The Sponsoring Body may dissotve the University ty givine a notice to the effect in the prescribed manmer to the State
 a least one year in whane:

Provide that disabation of the University shall have elieed anly ater the apporal of twe Stati: Gowemmen and the last hateles of stursents of the egular cuurses heve completed their courats and thes have been atharded degres diphomer owats. as lue case mas be
(2) On lae disolation of the themersty atl the assets and liabilates of Ux University shall test in the Sponsorime Redy.
44. Special prowers of the State Governanent in certain dirematanes.- (1) If it appears co the State Goverment that the


 will any undertaking civell by it to the State Govematat or a sitution of fameial mismandenmen or mat-atministration has arisen in the lamiversits. it shiall insue netice requifing the
 nt its ligudation shoutd wor be made.
(2) If tee State Govemment. art receipt of reply of the
 that there is a prima fiocie casc of contrivetiag any of the provisions of this Aet or lhe roles, Statutes of Ondinaners medn thereunder or of violating directions jesued by it under this Act an ol ceasing to cirry ont the andertakinge given be it or of temmeial mismanagement or mal-admanistration, it shall make on order at - Leth enguty as it may consider necessary:
(3) The Stute Governmentabli. for the purposes of ath Encuiry ander sto-stection (2). appoin an juguiry oflictr or offees winquire into any of the allegalions and to meake report thereon.
(4) The inguiry afficer or ofticers appointed tuder sut-


 . tm 保
 fersol and examining hin moth;
(b) receniring the discowny and preduction of any such document or atry oher material as may be predicable in evidence, and
(o) reancitioning my wable neord fron any cours or athice

 and Chither 26 of the Code of Criminal Petcedtar. 1973 © Cemal ita No 2001974 ).
(6) On receip of the emprity report from the aftieer or whets appoine winder sub-section 3 t, it the State Govemment is saristiod that the Liniversiy fas enatrevened any of the provisions miths Aet ar the miss. Staturs or Ordimaces made themander ar
 cund to cary ont the undertubings given be is ar a sitantion of
 Chemersity whel threatens the acadenic standard of the [minersity it shal! make orders for Liguidaion of the binversit?
 whiess of the t inversity shall he subjuct to the order and direction


 Winagenent mider this Act and shall adounster the athars ol the
 hane completed Awir courses and bley have ben anouded degres. diplomas or an. Ifds. as the case may he.
 athards. as the atase maty be to the tast bathes of the studens of the regular comses the : idminstrator shall make a report to the difet to the Stat Government.

 a order dissol: ing the [hitersity and finm the date of pablication uf such nolifiemion the [imiversity shatl stund dissotved and all the
 Buedy from simd date.

 puphere of this: sta.
(2) all :ufes made moder this set shall be laid, as soon as motb ho atter they are so made. before the thouse of the state . .egisfatere while it is in stssion, for a perion of not less them


sucessive sespons and if before the expiry of the session ion whet the are se hid or of the session immediately following the Howso

 thereafter have effect only in such moditiod form or be of no diect, as the case may be, so however. that any such mailificaio.
 previously dous therwader.
-6. Puwer ta remowe difinulties- (1) If any alffendy arises in tivint cher to de provisime of his Act, the Stale
 provisions, net imemsistent with the prorisions of this Act, as apper to it to bue hessary or expedien for remosing the diffeculy:

F'ougdel deat no order under thi: section shasl ba made wher the explis of a period of we veers fron the shate nol commencement of his Ach.
 may beather it is made. shatl be laid be fore tha thouse of the Sinto Lepissature.
47. The Aet to have overntiay difut- The provisions of this Aft and the rales, Statates, Ordinumes made theremoter sita! hate effact netwidstanding anything to the enntary contimed it ath oher law, for the lime being in force, relating to the manters in cenpect of which the State Legisfature has exelusive power whake lius.

> SCHEDOLE-1

## Infastruchure

1. Land: 30.43 Acres of mand comprising in Kinasa Nos. 2481. 2H52. 2483/6357, 2484, 6511/2485, 2465, 2474. $2476,2475,2464.2459,2466,2467,64782465$ o: Gimm Yatika, Tinsif Sampaner and Khasta Nos, 500 and $504 /$ of villace Fathehpura bass, Vatika. Tebsol C'laksu, District Japur (Rajastlam).

## 2. Buildind:


(i) Adramistrative Bhock:
(a) Numbin and Category of Units: 36

| Catagory of thiti | Onfees | $\left\{\begin{array}{c} \text { No. } \\ \text { of } \\ \text { lonits } \end{array}\right.$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Main | Charperson's Onke | 01 |
| Administrative | Presideat's Ontice | 01 |
| Onlice | Other Offices | 10 |
| Engineering and | Dean Onice | 01 |
| Technomy | Department Othe | 01 |
|  | Facuty Roons | 04 |
| Managerment | Deam Olice | 01 |
|  | Deparmen Oficu | U! |
|  | Fucdly Rooms | 02 |
| hammaterical | Deanomes | 01 |
| Sciences | Faculty Rumss | 01 |
| ApplidS Scienes | Demoftice | (0) |
|  | Depmanhe Ofice | 01 |
|  | Faculy Rumes | 01 |
| Compuler | Deun Ohter | 01 |
| Applicution | Departmem Ohte | 01 |
|  | Faculty Roms | 01 |
| Lim | Detan Office | 01 |
|  | Deparment Office | 01 |
|  | Faculy Rooms | 01 |
| Edemion | Dean Otice | 01 |
|  | Departient Oftes | 07 |
|  | Facuhy Rooms | 01 |
|  | Total Units | 36 |

(b) Mensurement of total covered areat 1,633
$\mathrm{Sig}+\mathrm{ITHS}$.
(ii) .tademic Blacts:
(a) Number und Category of Units: 71

| Citegory of tnils | No. of Units |
| :---: | :---: |
| Engincering and Techology | 22 |
| Manapement | 10 |


| Plamacentical Scmecs | 06 |
| :---: | :---: |
| Applied Sciunces | 09 |
| Compuler Application | 09 |
| Law | 03 |
| Education | 05 |
| Onhers | 07 |
| Totil Units | 71 |

Note: Ahove mits inchude clase-tooms, thoritals, dabomorias, menities and oher tacilities
(b) Measumenen of total cotered uca: 12.141 sq .
mers. .
(iii) Resideatia! Black:
(t) Number and Cargory of Unis: 06

| Category of linim | No. oftenits |
| :---: | :---: |
| Saff and OTheers Residente | 04 |
| Hostel for Sudents | 02 <br> (24 rooms for 45 students) |

Hosel has air cooled separte mess bivelities. AII the roons are either dir conditioned or ait cooled in the residemial block.
(b) Measurement of botal cosered areas: 1.538 sq. intrs.

Total buitt up areat 15,312 sc. mirs.
3. Facultis:

| Hranch | Protessy | Assumate Professor | Asistant Prufessor |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Enginecring and Teclmulogy | 5 | 10 | 20 |
| Mamamment | 4 | 1 | 12 |

7 ( 22 ) -

| Phamatentical Sciences | 3 | $+$ | 7 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Appliou Scinnees | 3 | 4 | 7 |
| Computir Applization | 7 | $\pm$ | 8 |
| Lam | - | I | 2 |
| Edicilion | 1 | 4 | 8 |
| Tetal | 17 | 2 R | 64 |

4. Acmatemic Facitias:
(i) Lihtary

| Sramed | Proks | Thites |
| :---: | :---: | :---: |
| Engincering and Techtology | 1.219 | 784 |
| Dmagement | 765 | 252 |
| Trumacemical Scimers | 5.126 | 565 |
| Apoblied Scinues | 65 |  |
| Cumpumer Application | 520 | 53 |
| Law | 25 | - |
| Edecation | 104 |  |
| Tutal | 7,82.4 | $1{ }^{165}$ |

(ii) Laboratorics:

| Braneh | Saboturaries | No. |
| :---: | :---: | :---: |
| Eruphering | Dinital Elembunus Labmamy | 1 |
| ama | Draming lfalls | 4 |
| Teumology | Electronic Enginucrug | 1 |
|  | 1.aboratory | 1 |
|  | Etectical I abourtory | , |
|  | Eterrical and Exemonics | 1 |
|  | Workshop? | 1 |
|  | Machine Design Luboratory |  |
|  | Mechanteal hurkshop | 1 |
|  | Power Electronics \& Power | 1 |
|  | Sytum Laboremy | 1 |

```
而4(%)
```



|  | Prodal Design \& Develephant Lathoratory Production Enineeriag Lnterraory |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Managram | hambure tavatory | I |
| Applied | Chemistry Liboramy | 1 |
| Sciences | Physics linberatery | 1 |
| Computer Application | Compuler Lathorary | 1 |
|  | Multimecdia Laboratory | 1 |
|  | Internet Programming | 1 |
|  | Laboratory |  |
|  | Connputer Aided | $\dagger$ |
|  | DesjomGimhics Labombers |  |
|  | TOTAL | 21 |

(iii) Kunting Rowns : Reading roums lucitity in Ua L.ibrary measuring $50 \%$ sq. mus. are weilabte Sop Fengimering amd Tochnolege.
Mattgement. Pharmatemical Scicoces Applies Scimess. Computer A pritiation. Blucation. Law.
(iv).inurnals:

| Bramer | National | Intermatonal | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Fngineering and | 14 | 15 | 29 |
| TLedunduy |  |  |  |
| Mthagentint | 1.4 | 33 | 17 |
| Phemmacendial | - | 11 | 01 |
| Sciomees |  |  |  |
| Ap: Wed Sorelces | 01 | 05 | Of |
| Cuippulet Apulication | 02 | 07 | 0 |
| Fabmition | (1) | 17 | 08 |
| Total | 32 | 68 | 110 |

(v) Ohar forcilities:

## 1. Air-comditioned Semmar Itat/ Condermec Room

2. Proposed Branch of Bark with ald
3. 24 hours brond-hand Ficilitios whth Wh-lit System
4. Own thensport the with 8 buses
5. Oxememe water tunk having tapaciny of 70.600 Ijers with 1 Tube-well
6. Electricty gemamor of 125 KV camaty
7. Cafeteria
8. Facilites of co-curticular ativities:

Athlenics
Badmintom
13asket liall
Cricket
Table Temis
Volley 13ali

## SClEDDRE-H

Biscipham in which tiniversity shall maderate study and research:

1. i.muncering and Technoladey
2. Medicine ana lleatal. Medieal amb Whamacemimal subace
 Bangemem. Jour and Jravel
3. ipplied sefone
4. ©nompter Appliantian
5. 1 ath
6. lalucatian
7. Stituce and fochnotoges
8. Vhmanitiss Social Science and Finc Mets
9. Yocabulary studies
10. Psychology
11. Agriculture and Veterinary Science
12. Mass and Media Communications, Journalism, Film and Technology
13. Alternative Therapy
14. Life Science, Religion
15. Foreign Language
16. Biotechnology
17. Nano Technology
18. 'relecom
19. Design
20. Architecture
21. Physical Education and Sports Science

> मनोज़ कुणार ट्यास, Principal Secretary to the Government.

65
Government Central Press Jaipur.

